that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee; and

that the Speaker shall appoint one of the Members of the Committee to be its Chairperson" .

The above motion was adopted by Lok Sabha at its sitting held on Wednesday, the 11th December, 2019."

GOVERNMENT BILL

The Citizenship Amendment (Bill), 2019 - *Contd.*

SHRI RONALD SAPA TLAU (Mizoram): Sir, in a way, I am happy to participate in this debate on this contentious Bill. Firstly, I am happy because the Government has made two changes in this Bill as compared to the previous proposal. One is that they have exempted the tribal areas as well as the ILP States. Further, I would like to remind the Government that the Chakma people, Buddhist Chakmas from Bangladesh did not come to India or the North-East as refugees. Let me make this very clear. They came because of the construction of Kaptai Dam in the sixties. Over a lakh of them came to North East, half of them settled in Mizoram and the rest settled in Arunachal Pradesh. Please take note of it.

Sir, I smell something fishy here, something sinister because you are talking about protecting the minorities of all these religions, including the Christians whereas you see a lot of religious hate crimes in the last few years. According to a Reuters report, there were 63 cow vigilante attacks from the year 2014 to 2017 in which 28 innocent victims lost lives and 124 of them were seriously injured. Sir, India ranks 15th in the world in terms of dangers for the Christians. It is up from 31st position four years ago. Church burnt down or pastors beaten up on an average ten times a week in the last four years. Hence, India has become home for Christian persecutions as well as other minorities' persecution. Now, you are introducing a Bill to protect the Christians and other communities. I am glad in a way and have mixed feelings because I want to be ensured that you are really serious about this

[Shri Ronald Sapa Tlau]

Bill. If you are serious, then, I should witness an end to all these persecutions in India, whether it is against Christians, Muslims or other minorities. If you do not do this, it will be only seen as bigotry and self-contradiction.

How do you expect the Christians to believe whether you are honest on this because you are seeing all this happening in India and you are putting an end to it? So, with this Bill, you have to put an end to all these persecutions. In the North-East, they see this Bill as a ploy to assimilate indigenous people in the North-East. For example, one lakh people of chakmas in Mizoram are almost half the size of my population. If you bring all of them in, this would be a big threat to my people. They also see this as a ploy to promote your Hindutva ideology.

Christian church is very strong in my home State of Mizoram. The last Assembly Election was a very, very clear proof of what my point is. Any move to change their comfort zone will mean that a drastic and a very grave result will come up.

Today, the true picture of the North-East is that you see endless burning and 24-hour bandh and a lot of sporadic protest. The entire North-East is burning as you know it. In fact, one of the allies of the BJP, the NPP, has very strongly objected to this Bill. I believe that some of the MPs may not know why the North-East people are objecting to this idea of CAB vehemently. One, Hindutva, Common Civil Code and lynching are still very fresh in their memory. Also, scary slogans like 'Hindustan for the Indians and the Hindus' and other things and how the RSS is committed to spreading its wings in the North-East. With this Bill, they want to know where the rightful place for the Christians in the North-East and the rest of the country is. Today, to remain in India, they have a strong feeling that they should have full freedom as enshrined in the Constitution. They should be able to freely worship their religion. They should have freedom to eat whatever food they want. They should be able to maintain their language and dialect. They should be able to maintain their own tribal identity, cultural ethos and mores.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have one more speaker from your party.

SHRI RONALD SAPA TLAU: This Government may be emboldened by the numbers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are taking her time now.

SHRI RONALD SAPA TLAU: Sir, just one sentence. Please allow me, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are taking her time now.

SHRI RONALD SAPA TLAU: If you impose this thing on us, it would be hanging like the sword of Damocles over our head. Therefore, we have to object to it. Thank you.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। आज सुबह जिस पद्धति से इस बिल के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, यह हम एक ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। दशकों पहले जो काम होना चाहिए था, वह काम आज भारत की संसद का यह महान सभागृह करने जा रहा है।

उपसभापति महोदय, हम सबको पता है कि यद्यपि इस पूरी समस्या की चर्चा आज इस बिल के संदर्भ में, इस सदन में हो रही है, यह समस्या कोई आजकल की नहीं है, एक दृष्टि से शतकों पुरानी है। पिछले शतक में 1931 में Sir C.S. Mullan, इस नाम के एक Census Commissioner असम का दायित्व निभा रहे थे। जैसे हमारे देश में पद्धति है कि हर दशाब्दी के पहले वर्ष में Census होता है, जनगणना होती है, उसी समय Sir C.S. Mullan ने यह कहा था, उनकी रिपोर्ट बड़ी मशहूर है और असम आंदोलन के समय उसकी काफी चर्चा भी हुई थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि इस पद्धति से अगर बंगाल से, उस समय का जो पूर्व बंगाल था, वहां से अगर लोगों का आना-जाना होता रहा, तो असम में असमिया लोगों पर अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक होने की एक नौबत आएगी और उन्होंने एक चेतावनी दी थी, मगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब स्वाधीनता का सूर्य उदय हो रहा था, तब उस समय भी Mohammed Sadullah नाम के एक व्यक्ति के हाथ पूर्व बंगाल की सारी सत्ता के सूत्र थे, उन्होंने 'Grow more food' के नाम से कई लोगों को असम में रवाना करने की एक कोशिश की, जिसके कारण भी असम की जो लोक रचना है, जो demography है, उसका character बदलने की प्रक्रिया और तेज हो गई। मान्यवर, उसके बाद हम सबको पता है कि 1978 में जब केन्द्र में श्री मोरारजी देसाई की सरकार काम कर रही थी, तब मंगलदोई का उप-चुनाव हुआ। उस समय जब वोटिंग लिस्ट का नवीनीकरण किया गया, तब असम को पहली बार साक्षात्कार हुआ कि मंगलदोई जैसे छोटे क्षेत्र में, जो अपर असम में है, जो बंगलादेश की सीमा से सटा छुआ नहीं है, बावजूद इसके वहां बंगाली घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी थी और उसके कारण असम आन्दोलन की चिंगारी एक दृष्टि से प्रज्यलित हो गई। उसके बाद पूरे असम में आन्दोलन चला और जैसा कि हम जानते हैं, वह आन्दोलन पूरे असम में फैलता गया और लोगों के अंदर का जो आक्रोश था, उसे एक दृष्टि से उद्गार मिलने की प्रक्रिया बढ़ी।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

महोदय, हम उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता थे और हमने कई बार असम के आन्दोलनकारियों के साथ अपनी एक प्रतिबद्धता भी प्रकट की थी। असम में हम गए, जो शहीद वेदियां लगी थीं, जिन-जिन को बर्बरता से मारा गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनकी स्मृति में जब शहीद वेदियां बनाई गई थीं, तो उनके ऊपर कई लोगों ने पुष्पांजलियां अर्पित कीं और उनके प्रति अपनी संवेदना भी जताई। मगर इसके बावजूद, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, उस समय की सरकार, जो 1980 में सत्ता में आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय हमारी प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने इस समस्या की जड़ को मिटाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने किया क्या, हम सबको पता है कि 1983 में इस देश में एक Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act लाया गया, जिसे IMDT Act के नाम से पहचाना जाता है। हम सबको पता होना चाहिए कि इस एक्ट की विशेषता क्या थी। विशेषता यह थी कि मैं थाणे शहर से आता हूं या हमारे श्री प्रभात जी, जो भोपाल से आते हैं, अगर हमें वहां दिखाई देता है कि कोई विदेशी नागरिक है और अगर हम पुलिस को जाकर बताते हैं कि फलाना-फलाना व्यक्ति विदेशी है, तो पुलिस उसकी तहकीकात करती है। उसके ऊपर यह दायित्व बनता है कि आप यह साबित कीजिए कि आप विदेशी नहीं हैं, बल्कि स्वदेशी हैं या भारतीय मूल के हैं। मगर असम के लिए IMDT Act ने एक विकृति निर्मित की और यह विकृति यह थी कि असम के अंदर अगर कोई जाता है और कहता है कि फलाना-फलाना व्यक्ति विदेशी है और उसकी तहकीकात करो, तो पुलिस उस व्यक्ति को, जो कंप्लेंट करता है, उसे बताती है कि आप यह साबित कर दो कि फलाना व्यक्ति विदेशी है। हमारे उस कानून के अंदर इतनी घोर विडंबना थी, मगर उसे लागू कर दिया गया।

महोदय, वर्ष 1985 में श्री राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड किया, जिसके बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई। मगर इस विकृति को हटाने की कोई बात नहीं हुई। यह तो वर्ष 2005 में, जो आज के हमारे असम के मुख्य मंत्री, श्री सर्बानन्द सोनोवाल हैं, उन्होंने जब कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कानून गैर-कानूनी है और गैर-संवैधानिक है। आज संविधान की दुहाई देने वालों के कई प्रवचन हमने यहां सुने कि यह संविधान के विरोध में है। अरे भैया, अगर आपको संविधान के प्रति इतना प्रेम था, तो वर्ष 2005 में जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने एक दृष्टि से रद्द करार दिया था, उसे बाईपास करते हुए, होम मिनिस्ट्री ने अलग-अलग सर्क्युलर्स निकाले और घुसपैठ या अनुप्रवेश की जो यह समस्या है, उसे रोकने की बजाय, उसे बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहन दिया, यह बड़ा ही शर्मनाक इतिहास है। यह तो वर्ष 2012 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार में अपने जजमेंट में कहा और जजमेंट बड़ा स्पष्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि किस पद्धति से यह जो कानून है, पूर्ण रूप से गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "Illegal

Migrants (Determination by Tribunal) Act was finally struck down by the Supreme Court of India which held that this Act has created the biggest hurdle and is the main impediment or barrier in the identification and deportation of illegal migrants. This is what the Supreme Court said."

महोदय, जो कांस्टीट्यूशन के बारे में बहुत लम्बे प्रवचन दे रहे थे, मैं मानता हूं कि उन्हें थोड़ा आत्मपरीक्षण करना चाहिए और आप लोगों ने गलतियां कीं, उनका पूरा नुकसान असम को झेलना पड़ा।

महोदय, दिनांक 9 अगस्त, 2012 को फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर हीयरिंग हुई, क्योंकि इन्होंने छोड़ा नहीं, जैसे विक्रम-बेताल की कहानी है कि वह छोड़ता नहीं, वैसे ही इन्होंने भी छोड़ा नहीं। यह जो मतपेटी का और वोट बैंक का जो मोह है, उससे इन्हें निजात नहीं मिली और इन्होंने फिर से उस कानून के प्रति कुछ न कुछ करना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख उन्हें हलफनामा देना पड़ा। वर्ष 2012 में इस सरकार ने हलफनामे में क्या कहा, उन्होंने कहा and I am quoting, "The Government of India does not support any kind of illegal migrants either into its territory or illegal immigration of its citizens. The Government is committed to deporting illegal Bangladeshi migrants but only lawfully." आज हम वही करने जा रहे हैं। हम कानून के आधार पर, जो इल्लिगल माइग्रेंट्स इस देश में आए हैं, जो गैर-कानूनी तरीके से आए हैं, वे गैर-कानूनी तरीके से आए हैं, यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि यह एक ऐतिहासिक कानून है, जिसे इस सदन के द्वारा अब निर्मित किया जा रहा है और हम उसे आकार दे रहे हैं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि असम में बहुत सारी वन भूमि है, जंगल की भूमि है और इस जंगल भूमि में जाकर, सरकार जमीन को हड़पने वाले कौन हैं? ये घुसपैठिए हैं। काजीरंगा क्षेत्र के बारे में हम काफी सुनते हैं। यह तो हमारी सरकार केंद्र में है और हमारी ही सरकार असम में आई है, जब सर्बानन्द सोणोवाल जी मुख्य मंत्री बने हैं, तब जाकर पूरे काजीरंगा क्षेत्र के अंदर यह जो एक सेंचुरी है, उस सेंचुरी के अंदर लगभग आधा दर्जन से अधिक घुसपैठियों के जो गाँव बसे हुए थे, अगर उनको बाहर निकालने का काम किसी ने किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार ने किया है। इसलिए मान्यवर, यह जो संघर्ष है, एक दृष्टि से हम जानते हैं कि असम के अंदर Majuli नाम का एक revrine island है। इस पूरे द्वीप पर, इस पूरे island पर किनकी बस्ती होनी चाहिए? क्या घुसपैठियों की बस्ती होनी चाहिए? क्या वहाँ असम के ओरिजिनल लोग नहीं रहने चाहिए? बल्कि बंगलादेश से आए हुए शरणार्थी, जो यहाँ पर प्रश्रय लेना चाहते थे, उन्होंने उनको बसाने का प्रयास किया है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रानी नाराह (असम): मान्यवर, हमें इस पर ऑब्जेक्शन है। ...**(व्यवधान)**...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: मान्यवर, हम सब जानते हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RANEE NARAH: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... You please take your seat. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: असम के अंदर इस घुसपैठ को रोकने के लिए अगर भारत की सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम ...**(व्यवधान)**... किसी जमाने में हुआ था ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RANEE NARAH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... आप बोलिए, आपकी बात ही रेकॉर्ड पर जाएगी, और कोई बात नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने कुछ नहीं किया। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RANEE NARAH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Madam, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: यह हमारी सरकार के कारण हो पाया। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मान्यवर, यह जो कानून आया है ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: *

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: आप बैठिए, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: मैं मानता हूं कि सभी में ...**(व्यवधान)**... जो पीड़ित और अत्याचार से पीड़ित हैं ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded

श्री सैयद नासिर हुसैन: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: यह उन लोगों को न्याय दिलाने के सपने को साकार करने का सरकार का इरादा उजागर करने वाला कानून है। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RANEE NARAH: *

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आने वाले इस्लाम के अनुचरों को भी नागरिकता दीजिए। आप यह भेद क्यों कर रहे हैं? भेद हम नहीं कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने लोक सभा में अपने भाषण में स्पष्टत: कहा था कि अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान, ये जो तीनों देश हैं, ये अपने नाम से ही इस्लामिक रिपब्लिक हैं। जो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, वहाँ इस्लाम के अनुयायियों पर अन्याय होगा, मैं मानता हूं कि यह सोचना उन देशों का अपमान है। ऐसा मत कीजिए। उन देशों में कहीं पर भी इस्लाम के अनुयायियों पर अन्याय नहीं होगा। अन्याय हो सकता है, तो अन्य लोगों पर हो सकता है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए उनको कानून का प्रश्रय देने की जरूरत थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। मुसलमानों में डर का निर्माण करने के बारे में भी कहा गया कि आप लोगों से कौन मुलसमान डरते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, मुसलमान हमसे डरते नहीं हैं, बल्कि वे तो हमसे प्यार करते हैं। मुसलमान आपसे डरते हैं। आपकी जो वोट बैंक की राजनीति है, वे उससे डरते हैं। ...**(व्यवधान)**... आप तो उनको एक झुनझुना देते हैं ..**(व्यवधान)**... झुनझुना।

श्री उपसभापति: आप चेयर को संबोधित कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: हम तो सही ...**(व्यवधान)**... विकास की बात करते हैं। मुसलमान हमसे नहीं डरते हैं। ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded

श्रीमती रानी नाराह: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... आप चेयर को संबोधित कीजिए।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: मैं दूसरा प्वाइंट कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, देश को हमेशा यह बताया गया कि मुसलमान को क्या लगेगा, मुसलमान नाराज होगा आदि। अरे भाई, मुसलमान क्यों नाराज होगा? मुसलमान राष्ट्रभक्त मुसलमान है। जब हमने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया, तब क्या किसी मुसलमान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की? किसी ने नहीं की। जब हमने ट्रिपल तलाक कानून रद्द किया, क्या तब किसी मुसलमान समाज में उसका ...**(व्यवधान)**... असंतोष निर्माण हुआ? ...**(व्यवधान)**... कहीं नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**... हमने राम मंदिर के बारे में एक दलील दी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानी। ...**(व्यवधान)**... क्या कहीं मुस्लिम समाज विचलित हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**... मुसलमान राष्ट्रभक्त है। आपके मन में उनके बारे में संदेह है, इसलिए आप यह राजनीति कर रहे हैं। आप उनको वोट बैंक का खिलौना बनाते हो। इसलिए मान्यवर, कई बार जो आपकी दृष्टि है, ...**(व्यवधान)**... मैं आपके ही नेता का एक उदाहरण देते हुए उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**... आप दो मिनट थोड़ा-सा सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... आपके अंदर भी थोड़ी tolerance आनी जरूरी है।

मान्यवर, मैं ठाणे शहर से आता हूं। हमारे यहाँ पर भिवंडी नाम का इलाका है, जो एक समय में दंगों के लिए मशहूर था। इस भिवंडी में एक बार जब दंगा हुआ, तब हमारे विश्व हिंदू परिषद के, RSS के कई कार्यकर्ताओं को, वहाँ पर जो शर्मा नाम से एक इंस्पेक्टर था, उसने बेरहमी से उन्हें पीटा था। मैं यह 1982 की बात कर रहा हूं। उस समय बीजेपी एकदम नई-नई पार्टी थी, किसके पास जाती? शिव सेना भी उस समय कोई बहुत बड़ा दल नहीं था, इसलिए वे कॉंग्रेस के अध्यक्ष से ही मिलने गए। उन्होंने उनसे कहा कि इस इंस्पेक्टर शर्मा का तबादला करना चाहिए, यह सारे हिंदूवादी नेताओं को पीट रहा है, मार रहा है, हर किसी का हाथ bandage में है, क्या करें? तब ठाणे शहर के उस समय के कॉंग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट हेगडे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि, are you serious? Do you really want this Sharma to be transferred? हमारे लोगों ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप भिवंडी के उस कस्बे के गाँव में जाकर सब जगह छोटे-छोटे पोस्टर लगाओ, बड़े-बड़े बैनर लगाओ, जिन पर लिखो - हिंदू हित की रक्षा कौन करता है-इंस्पेक्टर शर्मा, हिंदू का पालनहार कौन है - इंस्पेक्टर शर्मा। जैसे ही आप यह लिखेंगे इंस्पेक्टर शर्मा का तबादला होगा और तबादला हो गया। ...**(व्यवधान)**...

*Not recorded

श्रीमती रानी नाराह: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. .(Interruptions). Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: आपकी पूरी राजनीति हिन्दू और मुसलमान में दरार निर्माण करने की है। लियाकत अली खान और श्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एग्रीमेंट की चर्चा यहाँ पर हुई। इसलिए मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ने जो वादाखिलाफी की, उसकी सजा उन बेचारे हिन्दुओं को, जो भाग कर आ रहे हैं, आप क्यों देना चाहते हैं? हमें उनको प्रश्रय देना चाहिए। हमें उनको इस देश में प्रश्रय देकर अपनी बात पूरी करनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)...

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कह रहा हूँ। इसी सदन के बाजू में जो सेंट्रल हॉल है, उसमें जब संविधान बनने की प्रक्रिया पूर्ण हुई और स्वाधीनता का सूर्योदय हुआ, मध्य रात्रि में ही क्यों न हो, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो देश के पहले प्रधान मंत्री थे, उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि this is a tryst with destiny, हम नियति के साथ एक सामंजस्य का निर्माण कर रहे हैं। मान्यवर, आज जब हम इस सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, तो हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी एक 'tyrst with humanity' करने जा रहे हैं। ....(**व्यवधान**)... This is a tyrst with humanity. We do not believe in destiny. We are going to shape our destiny and, therefore, this is a tryst with humanity.

श्री उपसभापति: प्लीज आप खत्म कीजिए।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: इसलिए सारे सदन को इस प्रस्ताव के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करना चाहिए, यह मेरा विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill tooth and nail as I feel it will spread a sense of fear and hatred among the communities who have been living in harmony for so many years.

Sir, the North Eastern Region has been peaceful for many, many years now with all insurgency and secessionist activities of the underground outfits ceased many years ago.

My State, Meghalaya carved out in 1972, has been suffering influx of immigrants. The Bangladesh Liberation War witnessed refugees from Bangladesh

*Not recorded.

[Shrimati Wansuk Syiem]

coming to the State in large numbers causing much distress to the indigenous ethnic tribes.

Sir, there is a lollipop provision in the Amendment Bill about States and areas under the Sixth Schedule of the constitution. This won't save Shillong urban area from becoming a ghetto; a slum.

For many years public activist groups, student unions trying to preserve the rights and ethnic identity of the indigenous tribes have been proposing introduction of Entry Permit for casual visitors to check rampant infiltration by illegal settlers. So far, Sir, Meghalaya has not imposed any such entry restrictions as a gesture of generosity and trust in those entering Meghalaya. Now, Sir, I plead with all my humility to the hon. Home Minister, to the Centre to save my state Meghalaya, which is already battered by illegal infiltration, by either declaring it as similar to Inner Line Permit States or including Shillong urban area within the ambit of Sixth Schedule. I am really pleading you. This is with humility; I am requesting you to include Shillong urban area within the ambit of the Sixth Schedule.

North East Students' Organisation (NESO) has been leading such campaigns to oppose the Centre's attempt to divide the nation's citizens on religious ground insisting that citizenship based on one's religion will spread mistrust and hatred among communities going against the very grain of our Constitutional plank of 'Secularism'.

Sir, my State Meghalaya and its people, oppose this surreptitious move by the Centre to foment communal tension and bloodshed by foisting upon the nation a retrograde piece of legislation.

My State, Meghalaya has already suffered the burden of sharing its resources and privileges with immigrants and settlers and will fight, and we will fight, Sir, to preserve its indigenous ethnic tribal identity at all costs and sacrifice. Thank you, Sir.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय उपसभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस सदन में जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उन्हीं उद्‌गारों को quote करते हुए अपने विषय को प्रारम्भ करना चाहता हूं,

जो आनन्द शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहे थे। यह सच है कि 11 सितंबर, 1893 भारत के अभ्युदय का, विश्व में भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक बड़ा दिन था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा था, "मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं, जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र यादों को संजो कर रखा है, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने खंडहर बना दिया था, तब उन्होंने भारत में शरण ली थी।" स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यह हमारी परंपरा है कि दुनिया में जहां धर्मों का उत्पीड़न है, उनको शरण देने वाला देश यह भारत है। आज तीन देशों के नागरिकों को शरण दी जा रही है, लेकिन विरोध काँग्रेस और विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम जो पढ़ते हैं, जो कहते हैं, वह कर नहीं सकते हैं।

यहां भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात की गई। हम लोगों ने अपने संविधान की प्रस्तावना में भारत का संकल्प व्यक्त किया है। जब हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के लक्ष्यों को निर्धारित किया है, तो स्वतंत्रता के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए हमने कहा है कि भारत में liberty of thought, expression, belief, faith and worship है। हमारे यहां विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है और पूजा पद्धतियों की स्वतंत्रता है। स्वामी विवेकानन्द जी ने वहां पर भाषण दिया और भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संकल्प किया गया है, उसको पूरा करने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। जब हम गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं, तो यह गरिमापूर्ण जीवन देश में एक लम्बे समय से रह रहे पड़ोस के तीन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को भी चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने 2003 में यह विषय रखा था, इसलिए ऐसा नहीं है कि यह सरकार इससे अनभिज्ञ रही हो। कपिल सिब्बल जी, आपने आडवाणी जी के विषय में बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2003 से 2014 के बीच में, इसी संसद में लगातार इसके लिए आवाज़ उठती रही है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के अत्याचारों के मामले में, 7 दिसम्बर, 2005 को तब के विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद जी ने Human Rights Commission of Pakistan की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ़ हिंसा हो रही है। 27 फरवरी, 2007 को 200वें प्रश्न में, उस समय आपकी सरकार के समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने कहा था कि पाकिस्तानी हिन्दू भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। 2010 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा जी ने इसी संसद में बताया था कि उन्हें पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचार की जानकारी है। 2011 में विदेश राज्य मंत्री श्रीमती परनीत कौर ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार हिन्दुओं के

[श्री भूपेन्द्र यादव]

उत्पीड़न पर चिंतित हैं। इतना ही नहीं, 2014 में यूपीए सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया कि 2013 में 1,11,754 पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा लेकर आए थे, लेकिन धर्म के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में हिन्दू और सिख वीज़ा की अवधि खत्म हो जाने पर भी वे भारत में रह रहे हैं। आप उस मजबूरी को जानते थे, लेकिन इतनी मजबूरियों को जानने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की और आज जब हम यह कह रहे हैं कि जो लोग प्रताड़ना के आधार पर इस देश में आये थे, उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनकी पूजा-पद्धति के आधार पर उनको नागरिकता दी जाए, तो आप कागजात माँगने की बात कर रहे हैं, उनकी वैधानिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपका यह प्रश्न सीधे-सीधे मानवाधिकारों पर प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूँगा। दुष्यंत कुमार ने कभी कहा है:-

"आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है,
पत्थरों में चीख हरगिज़ कारगर होगी नहीं।"
वे कराहते रहे, लेकिन 40 साल तक पत्थर बनकर उनकी चीख़ को आपने सुना नहीं।
"इन ठिठुरती उँगलियों को इस लपट पर सेंक लो,
धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं।"
"रोज़ जब रात को बारह का गजर होता है
यातनाओं के अंधेरे में सफ़र होता है। "

वे सफर करके जो भारत में आये हैं, उनको सम्मान देने का काम इस सरकार ने किया है और इसलिए हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं और उसका अभिनन्दन करना चाहते हैं।

आखिर इस विधेयक की पृष्ठभूमि क्या है? इस विधेयक की पृष्ठभूमि है-- इस ऐतिहासिक सत्र में सदन में जितने भी सदस्यों ने अपने भाषण में और सम्बोधन में कहा है, किसी ने नहीं झुठलाया कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। इस बात को भी, चाहे आपकी सरकार के समय में सदन में तथ्य रखे गये या लगातार इन विषयों को उठाया गया, कोई इन्कार नहीं करता है कि पड़ोस के देशों में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहा है। इस अत्याचार से हम लोग अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं था, मनमोहन सिंह जी ने यह विषय उठाया, ऐसा नहीं था। आज कॉंग्रेस के भी लोग विरोध कर रहे हैं, आज कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग विरोध कर रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के भी लोग विरोध कर रहे हैं। केवल इस सदन में यह विषय रखा गया, मनमोहन सिंह जी ने रखा, ऐसा नहीं है। मेरे पास Economic Times की एक प्रति है। मैं सदन के सामने उस Economic Times से, जो 2 जून, 2015 को गुवाहाटी से प्रकाशित हुआ, उससे बताता हूँ - "Assam: Congress seeks citizenship for Hindu Bengalis, Buddhists who migrated from Bangladesh." यह

उस समय के मुख्य मंत्री श्री तरुण गोगोई ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को लिखा। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात जी ने 3 जून, 2012 को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि बंगलादेश से आये हुए जितने भी लोग हैं-- हमने तो हिन्दू ही कहा है, उन्होंने सब जातियों का उल्लेख किया। उन्होंने नामशूद्र का उल्लेख किया। उस पत्र को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह जी का पार्लियामेंट का जो स्टेटमेंट है, उसको क्वोट करते हुए उन्होंने कहा कि इनके मानवाधिकार के लिए उनको नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन ये पत्र तब लिखे गये, ये वक्तव्य तब लिखे गये, जब चुनाव नजदीक था। उनको पता है, चुनाव आने में 4 साल है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या चुनाव की राजनीति की है। हम चुनाव की नहीं, हम देश के नागरिकों को सम्मान देने की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे किसी शरणार्थी ने कुछ पंक्तियाँ लिख कर भेजी थीं। मैं उन पंक्तियों को पढ़ना चाहूँगा:

"मैं शरणार्थी हूँ तेरे वतन में, सब मुझको हैं ठुकराते।
बच्चे, घर, सब लुट चुके हैं, मेरे दिल पर ठेस पहुँचाते।
जर्जर कर रही है वेदना मुझको, कैसे जख्म दिखाऊँ तुझको।
इन रिसते घावों पर आकर, तू मरहम ज़रा लगा दे।
मुझ पर करुणा करके, तू अब वापस मुझे बुला ले।"

यह एक बहुत लम्बे समय से-- जो माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में विषय रखा था, जो उन्होंने कहा था कि यह लाखों लोगों के लिए कल एक स्वर्णिम सवेरा होगा, आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे प्रताड़ित लोगों के बेहिसाब दर्द को भले ही कॉंग्रेस पार्टी ने दशकों तक अनदेखा किया, लेकिन आज देश में एक ऐसी सरकार प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो संवेदनशील सरकार है, जिसने ऐसे लोगों के दर्द को न सिर्फ सुना है, बल्कि उससे निजात दिलाने के लिए एक निर्णयकारी कदम को इस बिल के माध्यम से लाया है। महोदय, इस बिल की संवैधानिकता पर बहुत सारे प्रश्न उठाये गये हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट को कोई competence नहीं है। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विषय का वर्णन किया गया है और हमारे ही संविधान में अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार इस संसद को दिया गया है। 1955 में हम नागरिकता का यह कानून लेकर आए हैं, हमने इसमें नौ बार संशोधन किया है। जब इस देश में कानून की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से परिवर्तन करने का काम हमारे द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को जो यह नागरिकता का विषय है, यह नागरिकता का विषय यूपीए सरकार के समय और हमारी सरकार के समय में धर्म के आधार पर इस विषय पर बात की गई है। आप अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता है,

[श्री भूपेन्द्र यादव]

लेकिन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के साथ-साथ वर्गीकरण को भी मान्यता दी गई है और वर्गीकरण को मान्यता देते हुए अगर फॉरेन कंट्री में भी नागरिकों का वर्गीकरण किया जाता है तो अमान्य नहीं है। 1955 में Hans Muller case के केस में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भी है, जिसमें उन्होंने कहा है - "Classification between the classes of foreigners is a valid classification and not in violation of Article 14. यह देश की सरकार का अधिकार है कि वह समतापूर्वक जीवन जीने के लिए अगर वर्गीकरण करती है, वर्गीकरण करने का अर्थ यह है कि सरकार कल्याणकारी राज्य की कल्पना के लिए अफर्मेटिव एक्शन उठा सकती है। क्या इस देश में TMA Pai case में भी सात जजों की न्यायिक बैंच ने यह नहीं कहा कि माइनॉरिटी का रिलिजन के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। हमारे यहां ओबीसी का क्लासिफिकेशन किया है, क्या वह वर्ग के आधार पर नहीं है? ओबीसी में जो मुस्लिमों का आरक्षण है, क्या वह वर्ग और रिलिजन के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं है और उससे बढ़कर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक क्लासिफिकेशन दूसरे के खिलाफ है तो जो दस प्रतिशत गरीबों का आरक्षण है, क्या यह टैक्स देने वालों के खिलाफ है? आप पूरी तरह से संविधान की भावना को नहीं समझ रहे हैं। संविधान की भावना का अर्थ है कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, राज्य जिसके ऊपर अफर्मेटिव एक्शन कर सकता है, उसका अफर्मेटिव एक्शन करने के लिए यह क्लासिफिकेशन वाजिब है। इसलिए संविधान की भावना के अनुरूप यह कानून लाया गया है। यहां एक किस्म का भय खड़ा किया जा रहा है कि जैसे नॉर्थ-ईस्ट में या देश में सब जगह एकदम से जनसंख्या की बहुत बाढ़ आ जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने इस कानून को बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस देश में कंसल्टेशन किया है। आखिर जब इस बिल में एक कट ऑफ डेट आ गई है कि 31 दिसम्बर, 2014 तक ही लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान हैं और उसके बाद भी जो अत्याचार हैं, उनके लिए एक प्रक्रियागत विषय है। लेकिन इस समय जो देश में एक व्यवस्था है, देश में एक लम्बे समय से पड़ोसी देशों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सताए हुए आए हैं, उत्पीड़न से आए हैं, अपने घर छोड़कर आए हैं, जो लोग 31 दिसम्बर, 2014 तक आए हैं, उनका रेगुलराइजेशन करना जरूरी है। आखिर कोई भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार किन्हीं नागरिकों के कल्याण के लिए जब अफर्मेटिव एक्शन उठाती है तो इम्मिग्रेशन का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। हमारे देश में अगर आज वे रह रहे हैं तो नागरिक बनकर उनको सम्मानपूर्वक, गरिमापूर्वक जो जीवन जीने का अधिकार है, उन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। इसलिए सरकार ने इस पूरे कानून को बनाते समय नॉर्थ-ईस्ट की भावनाओं का ध्यान रखा है, असम की भावनाओं का ध्यान रखा है। धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित किए गए लोग हैं, उन लोगों के जीवन के मूल्य का ध्यान रखा है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने भारत के उन सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखा है, जिनका उद्घोष

स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में किया था।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इस कानून में जो सराहनीय कदम है, इस सराहनीय कदम के द्वारा दुनिया भर में आज सभी देशों की एक पालिसी बन रही है कि उनके देशों में जितना भी इम्मिग्रेशन है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है। ये जो भी लोग आए हैं, ये नागरिक बने, अपनी पढ़ाई करें, ये अपने मकानों में पक्के तरीके से रहें, ये अपने जीवन में गरिमापूर्ण तरीके से रहें और सबसे बड़ी बात है, आप 2003 से लेकर 2014 तक संसद में कम से कम बीस प्रश्नों पर कहते रहे, लेकिन आपने उनके भविष्य पर लटकी हुई तलवार को हटाने का काम नहीं किया। रोज-रोज उनके जीवन को तिल-तिल करके उस सुबह को देखने को मजबूर किया, लेकिन इस सरकार में माननीय गृह मंत्री जी ने उस सुबह को लाने का जो काम किया है, हम सबकी तरफ से, सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं। बहुत बार एक विषय उठाया जाता है, देश में बहुत सारे निर्णय हुए, आप 70 साल से insolvency कानून को लेकर नहीं आए, 1960 में लॉ कमिशन की रिपोर्ट थी। इस देश में 15 सालों से जीएसटी का विषय था, आप लेकर नहीं आए। इस देश में 370 का जो तात्कालिक कानून था, वह आपने चलाए रखा, आप उसको स्थाई नहीं कर पाए। इस देश को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह political will की है। यहाँ पर मैं quote करता हूँ, "We have already read much about three powers *viz.* muscle, will and soul power. But there is one more power called as political will power, which can change the world scene and resolve the global issues such as arms race, flesh trade/human trafficking, women and child abuse/exploitation, poverty, malnutrition, climate change, terrorism, etc. So, above all powers lies the significance of the political will power. Only strong will power makes things happen. You may be having adequate administrative machinery, but there is no will power, then, system won't work and will be of no use. Only political will power makes things happen." इस सरकार की जो यह political will power है, उसके कारण उसने उन चीजों को करके दिखाया है। लोग कहते हैं कि मोदी है, तो मुमकिन है और ये सारे विषय पूरे हो सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आखिर जब इस देश की संसद में कोई भी कानून बनता है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कानून भारत के संविधान, भारत के संविधान की मूल भावना के अनुकूल होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने सुबह अपने बयान में कहा कि इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हमारे देश में हमारी संस्कृति में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता सहज स्वीकार की गई है। इसके लिए किसी तुष्टीकरण को अपनाना वास्तविक समस्या को नजरअंदाज करना है। आपने हमेशा

[श्री भूपेन्द्र यादव]

तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है। हमारे देश में सभी धार्मिक पंथों को अभ्यास और आध्यात्मिक विकास का न सिर्फ अवसर देने की सहमति प्रदान की गई है, बल्कि धर्म को जीवन की सहज आवश्यकता भी समझा जा सकता है, इसलिए नागरिकता संशोधन विधेयक के मानवीय अधिकार को समझने की कोशिश हमारे विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि आपके लिए धर्म, आपके लिए धार्मिक आस्था महज एक संख्या है और इसलिए नागरिकता में जो धार्मिक समानता है, वह समस्या मूल धार्मिक भेदभाव पर आधारित अत्याचार की है। आप जो समानता देना चाहते हैं, वहाँ पर जब एक धर्म का शासन है, उन्होंने अपने देश को इस्लामिक देश declare किया है और जब इस्लामिक देश declare किया है, तो वहाँ पर उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया है। हमारा देश कैसा है? दुनिया भर में बहुत सारा विषय चलता है, लेकिन मैं हमारे देश के बारे में और इस देश के मूल तत्व के बारे में कहना चाहता हूँ कि हम लोग न तो xenophobic रहे हैं, जो दूसरे की संस्कृति से नफरत करें, न हमारा देश कोई ethnocentric रहा है, जो सिर्फ अपनी जातीय संस्कृति श्रेष्ठता को स्वीकार कर अन्य को देखते हैं। हमारे देश में हमने सबको समानता के भाव से देखा है, लेकिन अगर देश की राजनीति को बदलना है, तो मैं कम से कम काँग्रेस और विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में कोई जबरन आंकड़े बनाने का प्रयास न करे। ...**(व्यवधान)**... आज यह जो कानून लाया गया है, यह इस आवश्यकता के लिए लाया गया है कि जब हमारे पड़ोस के देश में राज्यीय सत्ता का स्वरूप धर्म विशेष से संबंधित हो और धार्मिक भेदभाव के नाम पर अत्याचार हो, उन्हें भय से पहचान बदलने को मजबूर किया जाए,... वहाँ पीड़ित कौन है, कम से कम इसका तो विवेक आपको रखना आवश्यक होगा। पीड़ित को पहचानने का विवेक आपके अंदर जाग्रत करना होगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश में मानवता के लिए और लोकतांत्रिक विषयों के लिए यह विवेक आवश्यक है। जब हम अपने संविधान में अल्पसंख्यक हितों को मान्यता देते हैं, तो हमारी शरण में आए अन्य धार्मिक लोग, जिनके साथ इस प्रकार का उत्पीड़न होता है, उन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा मानवीय संवेदना को समझा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि नागरिकता संशोधन की मूल भावना इस धार्मिक भेदभाव के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय की है। मैं पुन: इस सदन से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो एक वातावरण खड़ा किया जा रहा है, वह वातावरण देश को बांटने के लिए किया जा रहा है, इस देश के अंदर वैमनस्य का बीज पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... आप दस साल तक संसद में कहते रहे, आप दस साल तक संसद में विषय उठाते रहे, लेकिन उनका जो एक गरिमापूर्ण जीवन था, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। मैं यह जानना चाहूँगा कि आज यह जो विधेयक, माननीय गृह मंत्री जी

के द्वारा लाया गया है, यह भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल है। यह जो क्लासिफिकेशन है, यह देश के संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुकूल है। यह देश के लोगों को संविधान के अनुच्छेद-21 में, जो गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन दिया है, यह उसके अनुकूल है और यह भारत की छवि को एक मानवतावादी देश के रूप में बनाएगा। जिनके साथ धर्म का उत्पीड़न है, जिनके ऊपर अत्याचार है, उनको संरक्षण देकर मानवीय मूल्य जीवन जीने के लिए यह विधेयक लाया गया है, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और यह आशा करते हैं कि काँग्रेस और अन्य विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति में आकर कम से कम मानव अधिकारों का उल्लंघन न करें। जय हिन्द, जय भारत!

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Thank you hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, I stand to oppose this Bill as it is unconstitutional, against the basic tenets of our Constitution and is violation of the Assam Accord. Sir, you are changing the basis of citizenship and also legalizing religious discrimination. You are giving citizenship to all migrants, except Muslims! The hon. Minister was saying that it is for the persecuted minorities of neighbouring countries. If that is the case, what happened to Rohingya Muslims who were persecuted in Myanmar? What happened to Ahmadi Muslims and Shias discriminated in Pakistan? And, what happened to Tamils who have been discriminated in Sri Lanka? Why the hon. Minister is not concerned about these sections? Sir, these arguments are ridiculous. In fact, the Government and the hon. Minister is desperately trying to hide the real facts and the real agenda. The real agenda is the fascist Hindu Rashtra. They are coming with such a hidden agenda and, I think, it is cowardly attitude and only cowards do such kind of acts.

Sir, we are living in a democratic country, not in Fascist Hindu Rashtra. Sir, this is our Constitution; a bunch of thoughts is not our Constitution. This is not a bunch of thoughts. This is our Constitution. Sir, We or Our Nationhood written by Shri Golwalkar is not our Constitution. But, unfortunately, the hon. Minister and the Government are thinking that a bunch of thoughts is the Constitution of India. ...*(Time-bell rings)*... I am reminding the hon. Minister that Manusmriti is not our Constitution. I am requesting the hon. Minister to go and see the entry of the Central Hall where it is written Vasudhaiva Kutumbakam. Sir, why is the Government doing like this? They are trying to divide the people on communal lines for their Hindutva petty politics and Hindutva agenda.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rageshiji, conclude now.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, what is the real objective of this Bill?

MR. DEPUTY CHARIMAN: I will call the next speaker.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I will take only half a minute. In fact, the Government wants to hide many things. The Government wants to divert attention of the people from very, very serious issues. We are seeing the economic crisis in our country. We are seeing how public sector industries are being sold to corporate. We are seeing how the Tughalakian demonetisation devastated our economy. The hon. Minister and the Government wanted to divert the attention of the people of our country and that is why they are brining this Bill. I condemn this Bill and request the Government to withdraw this Bill. Thank you.

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): आदरणीय उपसभापति महोदय, इस ऐतिहासिक बिल पर आपने जो मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, यह ऐतिहासिक बिल इसलिए है, क्योंकि आज हम इस बिल के माध्यम से देश में रह रहे उन करोड़ों-करोड़ व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित होकर भारी मन से अपना सर्वस्व त्यागकर भारत में आए हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं और शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, उनको नागरिकता देकर उनका स्वाभिमान लौटाने का कार्य करने वाले हैं। माननीय उपसभापति महोदय, सभी दलों के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि चाहे इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हों या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे अल्पसंख्यक हों, उनके साथ अत्याचार या अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसे सभी दल स्वीकार करते हैं। विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों ने अत्याचार की भयंकर पीड़ा झेली। वहाँ उनका नरसंहार हुआ, हज़ारों लोगों की हत्याएँ हुईं, जिसके बाद लाखों लोग यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए और उन सबको नागरिकता दी गई। जब यह संशोधन भी ऐसे ही पीड़ित होकर आए व्यक्तियों की नागरिकता के लिए लाया गया है, तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि विरोध किस बात का हो रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए लोगों के शिविरों और बस्तियों में जाने का कई बार अवसर मिला है। उन्होंने हमसे अपनी व्यथा बताई कि वहाँ उनको कौन-कौन-सी यातनाएँ झेलनी पड़ी हैं, उन्होंने वहाँ कैसी-

कैसी यातनाएँ झेली हैं। वहाँ उनकी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं थीं, वहाँ उनका व्यापार सुरक्षित नहीं था, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए वे वहाँ चिन्ताग्रस्त रहते थे। महोदय, कोई व्यक्ति ऐसे ही अपना देश और घर छोड़कर कहीं और नहीं जाता, बल्कि मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। इसलिए आज हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं?

सर, आज बहस सिर्फ इस बात के लिए होनी चाहिए कि 1947 के पश्चात् उत्पीड़ित होकर पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक यहाँ आकर बसे हुए हैं, वे बहुत ज्यादा नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं? अगर उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वह किस प्रकार से मिलनी चाहिए, इस बात पर आज बहस होनी चाहिए थी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री, आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज ऐसा बिल लाकर एक बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है, जिसके कारण वैसे लोग, जो इस प्रकार से प्रताड़ित और बहुत ही व्यथित होकर अपना जीवन जी रहे हैं, उनको सारे अधिकार मिलने वाले हैं।

मान्यवर, मुझे यह ठीक से याद है कि जब वर्ष 2014 में लोक सभा का चुनाव था, तब हमारे आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिले में बॉर्डर पर जाकर एक घोषणा की थी। वहाँ एक बहुत बड़ी रैली थी। सर, मैं वहाँ जाकर आया हूँ, वहाँ हज़ारों-लाखों की तादाद में शरणार्थी रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि बाड़मेर जिले के अंदर या इस देश के अंदर कहीं भी जो हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन अपने देश से प्रताड़ित होकर यहाँ आकर बसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। श्रीमान् जी, कथनी-करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व वक्ता, कॉंग्रेस के हमारे एक साथी ने कहा था कि कमिटी भेजो, कमिटी भेजो।

सर, यह बिल आज का नहीं है, बल्कि इसके बारे में वर्ष 2014 में हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा था और यह हमारे घोषणा-पत्र में भी था। वर्ष 2014 के बाद, वर्ष 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री जी ने यह बिल लोक सभा में पेश किया था। उस समय इस बात पर सहमति बनी कि इस बिल को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया जाए। उसके बाद, वर्ष 2016 से 2019 तक इस बिल पर लगातार चर्चा होती रही। चाहे सभी देश के विधिवेत्ता हों या अन्य लोग हों, उन सबको सुनकर एवं पीड़ित लोगों तक जाकर, उनसे चर्चा कर तथा जो 9,000 से भी अधिक ज्ञापन मिले थे, उन सबका अध्ययन करने के पश्चात् यह बिल जनवरी, 2019 में पुनः लोक सभा में पेश हुआ था। तब यह बिल वहाँ से पास हो गया, लेकिन किसी कारणवश इसको राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका, क्योंकि उस समय चुनाव हो गए। अब 2019 में यह बिल पुनः लोक सभा से पास होकर हमारे यहाँ

[श्री नारायण लाल पंचारिया]

आया है। ये मुख्य विपक्षी पार्टियां बिल को अटकाने-लटकाने की मानसिकता से फिर यह बात कर रही हैं कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए। मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। मेरे प्रान्त की पाकिस्तान से सटी हुई सीमा 1,170 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के मुनाबाओ रेलवे स्टेशन से थार एक्सप्रेस चलती है, वह पाकिस्तान तक जाती है। अब वह ट्रेन हमारे जोधपुर से रवाना होकर चलते हुए पाकिस्तान के कराची तक पहुंचती है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर बहुत बड़ी संख्या में अपने परिवार सहित लोग आकर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं। उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए कई सारे एनजीओज़ भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं, जिन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा करने में लगा दिया है। उपसभापति महोदय, उन लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उनके जीने के लिए क्या स्थति है? यदि कोई जाकर देखे तो मन को लगेगा कि बहुत खराब स्थिति है। नागरिकता न होने के कारण उनकी बस्तियों में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा का अभाव है। मैं एक बस्ती में गया, वहां के जिला प्रशासन से बात की कि उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट मना किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जब हमने कहा कि हमारी सांसद निधि से कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। हम यहां भी पैसा न लगा सके। इस देश के अंदर करोड़ों लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। महोदय, मैं कहूंगा कि आज माननीय गृह मंत्री जी ऐसा शानदार बिल लेकर आए हैं, मैं कहता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद इस देश के अंदर दिवाली मानायी जाएगी। मेरे पास सुबह से कई फोन आए, उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसे परिवारों की स्थिति को ठीक करने के लिए माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी बिल लाए हैं। मैं समझता हूं कि इसको सर्वसम्मति से मिल-बैठकर पास करना चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने सभी सांसदों से इस बात का आग्रह किया कि आप अपनी दीपावली सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सैनिकों के साथ या अपने क्षेत्र में एकदम कच्ची बस्तियों में जाकर मनाएं। महोदय, मुझे इस दीपावली में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने पता किया तो मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे गरीब और कच्ची बस्ती, यदि कोई थी, तो वह पाक विस्थापितों की बस्ती थी। जब हमें जानकारी हुई तो हम परिवार के साथ और मेरी पार्टी के परिवार के साथ हम सब लोग वहां पहुंचे, वहां जाने के पश्चात् वहां की स्थिति देखी तो वास्तव में लगा कि यह ठीक नहीं है।

6.00 P.M.

(श्री सभापति, *पीठासीन हुए)*

हम वहां गए, कल्पना यह थी कि 380 परिवार हैं, हम एक-एक परिवार में जाएंगे। सारे लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, स्नेह मिलन भी हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे परिवार की माताएं-बहनें थीं, वे जब उनके घरों में गईं, मैं यहां एक घटना का ज़िक्र अवश्य करूंगा, क्योंकि वह दिल को दहला देने वाली घटना है। हमारी महिलाएं जब घर में गईं तो देखा कि एक महिला घर में रो रही थी, उनसे पूछा कि क्या बात है? उस रोती हुई महिला ने कहा कि क्या बताऊं, जब हमारा पासपोर्ट बन चुका था, हम आने वाले थे, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा होने वाला था, जो 15 दिन बाद होने वाला था, लेकिन premature होने से बच्चे का जन्म हो गया। महोदय, अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि 4 दिन के बच्चे को उस बिलखती हुई मां और उस परिवार से छीन लिया गया। क्रूर पाकिस्तान के हाथों में उस बच्चे को छोड़कर उस मां को आना पड़ा, चूंकि पूरा परिवार आ रहा था। वह मां आज भी उस बस्ती में बैठी हुई रो रही है। इस प्रकार का अत्याचार और अन्याय वहां पर हो रहा है। मैं सोचता हूं कि कम से कम यह बहुत ही अच्छा बिल है, जो नागरिकता के लिए संशोधन लेकर माननीय गृह मंत्री जी आए हैं। हम इसका समर्थन करते हैं। मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the time of six hours allotted to this Bill is over. I am told that Members whose names were called but were not there, they were also given an opportunity later. So, we can't spend more time now on this. Some time is left for the ruling party, the BJP. Then, the Leader of the Opposition wants to raise some questions. Now, the Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय सभापति महोदय, हमारे 5-6 साथियों ने बहुत अच्छे भाषण किए, आनन्द शर्मा जी ने, पी. चिदम्बरम जी ने, कपिल सिब्बल जी ने, रिपुन बोरा जी ने, रोनाल्ड जी ने और वानसुक जी ने। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से 5-6 बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने जिन देशों का चयन किया है, मेरे हिसाब से selective countries and selective religions, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के बारे में कहा कि उनका religion इस्लाम है। मैं बताना चाहता हूं कि भूटान का क्या religion है, श्रीलंका का क्या religion है? उनका religion इस्लाम नहीं है, लेकिन वे भी तो धर्म के आधार पर आधारित हैं। आपने तीन कंट्रीज़ को neighbouring countries कहा है। श्रीलंका

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

हमारा neighbouring country है, भूटान हमारा neighbouring country है, म्यांमार हमारा neighbouring country है और नेपाल भी हमारा neighbouring country है, लेकिन क्या यह समस्या जो श्रीलंका के minority Hindus हैं, उनके साथ नहीं है, तो श्रीलंका के Hindus को क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ religious problems भूटान के क्रिश्चियन्स के साथ नहीं है, उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या Indian origin के मुसलमान, जो म्यांमार में हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्यों नहीं जोड़ा गया है? उसमें न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया है। फिर यह कहना कि इन तीन देशों में एक ही विशेष धर्म का persecution होता है। माननीय गृह मंत्री जी, जितना persecution मुस्लिम औरतों का अफगानिस्तान में हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ। उनको बुर्के न पहनने पर लाइन में खड़े करके तालिबानी मार देते थे, क्या वह persecution नहीं है? पूरे बदन पर कोड़े मारते थे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर गजल आपने सुनी होगी-

" जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गिराँ
रुई की तरह उड़ जाएंगे।"

उन्हें ज़िया-उल-हक ने जेल में रखा था, क्योंकि वे इंकलाबी शायर थे और उन्होंने जेल में ही लिखा, वे persecution में भी थे। बंगलादेश की नसरीन, जो Novel लिखती थीं, मैं उससे इत्तेफ़ाक करता हूं या नहीं, हमने उनको यहां शरण नहीं दी। इन तीन देशों की मुस्लिम कंट्रीज़ में तीन मुसलमान लोगों के साथ और बड़े-बड़े लोगों की बात मैं कर रहा हूं, यह किसने कहा कि मुस्लिम के साथ वहां persecution नहीं होता है। आपने ये देश क्यों छोड़ दिए? मैं रिपुन बोरा जी को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने इसी सदन में 16-17 में, तीन सवाल आपसे पूछे थे, माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे, लेकिन गृह मंत्रालय से पूछे थे। आपके पास तो आंकड़े ही नहीं हैं। मिनिस्ट्री तो कहती है कि हमारे पास कोई authentic record ही नहीं है कि किसी के साथ persecution होता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है, यह क्वेश्चन 23.3.2017 का है "Whether the Government has any report on any religious persecutions taking place in Afghanistan and Pakistan after 1947 and in Bangladesh after 1971." और उसका रिप्लाई यह है "There are no authoritative statistics in this matter." आपके पास कोई statistics ही नहीं है और माननीय गृह मंत्री जी, आप करोड़ों लोगों में गिन रहे हैं और आपका मंत्रालय कहता है कि ...**(व्यवधान)**... यह कहां आ गए हैं! दूसरा, क्वेश्चन उन्होंने यह पूछा है कि आपके पास इन तीन देशों के कितने लोगों की citizenship के लिए applications पड़ी हुई हैं? उसमें अफगानिस्तान में 6,087 हैं, बंगलादेश में 84 और पाकिस्तान में 2,500 हैं, तो तीन देशों से आपके पास टोटल applications, चाहे वे ठीक हों या गलत हों, उनका persecution हुआ

है या नहीं हुआ। सिर्फ उन चार-सवा चार हज़ार लोगों ने apply ही किया है और आप देश को ऐसा बताते हैं कि करोड़ों लोगों का persecution हो रहा है। एक question में आप कहते हैं कि आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं, दूसरे question में आप सिर्फ चार हज़ार गिनते हैं तो आप बताइए कि यह माजरा क्या है? सर, अगर यह बिल सबको पसंद है तो मैं आज की न्यूज़ बताता हूं - इस वक्त की, एक घंटा पहले की। असम में डिब्रूगढ़ में इस वक्त Army का flag march क्यों हो रहा है? इस वक्त लाठी चार्ज, fire and tear gas और rubber bullets protesters के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? नेशनल हाइवे पर पिछले 11 घंटों से protest क्यों हो रहा है? डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और गुवाहाटी में क्यों जलसे और जलूस चल रहे हैं? मालेगांव, गुवाहाटी में बस को क्यों जलाया जा रहा है? Normal life was paralysed.

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** مانّنے سبھا پتی مہودے، ہمارے پانچ-چھہ ساتھیوں نے بہت اچھے بھاشن کئے، آنند شرما جی نے، پی۔چدمبرم جی نے، کپل سبّل جی نے، رپن بورا جی نے، رونالڈ جی نے اور وانسک جی نے۔ میں ان باتوں کو دوہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں مانّنے گرہ منتری جی سے پانچ-چھہ باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔ انہوں نے جن دیشوں کا چیئن کیا ہے، میرے حساب سے selective countries and selective religions, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ نے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے بارے میں کہا کہ ان کا ریلیجئن اسلام ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھوٹان کا کیا ریلیجئن ہے، سری لنکا کا کیا ریلیجئن ہے؟ ان کا ریلیجئن اسلام نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو دھرم کے آدھار پر آدھارت ہیں۔ آپ نے تین کنٹریز کو نیبرنگ کنٹریز کہا ہے۔ سری لنکا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، بھوٹان ہمارا نبیرنگ کنٹری ہے، میانمار ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور نیپال بھی ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، لیکن کیا یہ سمسیہ جو سری لنکا کے مائنارٹی ہندو ہیں، ان کے ساتھہ نہیں ہے، تو سری لنکا کے ہندوؤں کو کیوں نہیں لایا گیا۔ کیا کچھہ ریلیجئس پرابلمس بھوٹان کے کرشچئن کے ساتھہ نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں جوڑا گیا، کیا انڈین اوریجن کے مسلمان، جو میانمار میں ہیں، ان کی پرابلم نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں جوڑا گیا ہے؟ اس میں نہ کنٹری کو جوڑا گیا ہے اور نہ وہاں کے دھرم کو جوڑا گیا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ان تین دیشوں میں ایک ہی خاص دھرم کا persecution ہوتا ہے۔ مانّنے گرہ منتری جی، جتنا persecution مسلم عورتوں کا افغانستان میں ہوا ہے، کہیں نہیں ہوا۔ ان کو برقعے نہ پہننے پر لائن میں کھڑا کرکے ان

†Transliteration in Urdu script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

کو طالبانی مار دیتے تھے، کیا وہ persecution نہیں ہے۔ پورے بدن پر کوڑے مارتے تھے۔ فیض احمد فیض کی مشہور غزل آپ نے سنی ہوگی۔

"جب ظلم و ستم کے کوہ گراں
روئی کی طرح اڑ جائیں گے"

انہیں ضیاء الحق نے جیل میں رکھا تھا، کیوں کہ وہ انقلابی شاعر تھے اور انہوں نے جیل میں ہی لکھا، وہ persecution میں بھی تھے۔ بنگلہ دیش کی نسرین، جو ناول لکھتی تھیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں۔ ہم نے ان کو یہاں شرن نہیں دی۔ ان تین دیشوں کی مسلم کنٹریز میں تین مسلمان لوگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ کس نے کہا کہ مسلم کے ساتھ وہاں persecution نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیش کیوں چھوڑ دئے؟ میں رپن بورا جی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی سدن میں سولہ-سترہ میں، تین سوال آپ سے پوچھے تھے، مانّنے گرہ منتری جی نہیں تھے، لیکن گرہ منترالیہ سے پوچھے تھے۔ آپ کے پاس تو آنکڑے ہی نہیں ہیں۔ منسٹری تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ persecution ہوتا ہے۔ جب گوورنمینٹ آف انڈیا کی منسٹری کہتی ہے یہ کوئشچن 23-3-2017 کا ہے "Whether the Government has any report on any religious persecutions taking place in Afghanistan and Pakistan after 1947 and in Bangladesh after 1971." اور اس کا ریپلائی یہ ہے " There are no authoritative statistics in this matter." آپ کے پاس کوئی statistics ہی نہیں ہے اور مانّنے گرہ منتری جی آپ تین دن کروڑوں لوگوں میں گن رہے ہیں اور آپ کا منترالیہ کہتا ہے کہ ...(مداخلت)... یہ کہاں آ گئے ہیں۔ دوسرا، کوئشچن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس ان تین دیشوں کے کتنے لوگوں کی citizenship کے لئے applications پڑی ہوئی

ہیں؟ اس میں افغانستان میں چھہ ہزار ستاسی ہیں، بنگلہ دیش میں چوراسی اور پاکستان میں ڈھائی ہزار ہیں، تو تین دیشوں سے آپ کے پاس ٹوٹل اپیلی کیشنس، چاہے وہ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، ان کا persecution ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ صرف ان چار-سوا چار ہزار لوگوں نے اپیلائی ہی کیا ہے اور آپ دیش کو ایسا بتاتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کا persecution ہو رہا ہے۔ ایک کوئشچن میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آنکڑے نہیں ہیں، دوسرے کوئشچن میں آپ صرف چار ہزار گنتے ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ سر، اگر یہ بل سب کو پسند ہے تو میں آج ہی نیوز بتاتا ہوں۔ اس وقت کی، ایک گھنٹہ پہلے کی۔ آسام میں ڈبرو گڑھہ میں اس وقت آرمی کا فلیگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت لاٹھی چارج، فائر اینڈ ٹیئر گیس اور rubber bullets protesters کے خلاف کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ نیشنل ہائی وے پر پچھلے گیارہ گھنٹوں میں پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈبرو گڑھہ، تنسکیا اور گواہاٹی میں کیوں جلسے اور جلوس چل رہے ہیں؟ مالیگاؤں، گواہاٹی میں بس کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ نارمل لائف واز پیرالائزڈ۔

MR. CHAIRMAN: Right; Shri Ghulam Nabiji, please.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, this is a matter of great concern.

MR. CHAIRMAN: Agreed. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, this is something that is currently going on. ...*(Interruptions)*... Hon. Chairman, Sir, this is going on. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He asked for six minutes and I have given him six minutes. You are trying to tell me!

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, you can increase it. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, यह त्रिपुरा में हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** سر، یہ تریپورہ میں ہو رہا ہے۔ اروناچل پردیش میں ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: You should have fielded the Leader of the Opposition beforehand. Who prevented you? You could have given up your time.

---

†Transliteration in Urdu script.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, पहले Leader of the Opposition के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता था, वह आपने ही निर्धारित किया है।

†**جناب غلام نبی آزاد :** سر، پہلے لیڈر آف اپوزیشن کے لئے کوئی ٹائم نردھارت نہیں ہوتا تھا، وہ آپ نے ہی نردھارت کیا ہے۔

I am sorry to say that. I must put that too on record. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: ऐसा नहीं है। It is a Bill. ...*(Interruptions)*... It is a Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: एलओपी के लिए कभी नहीं होता था। ...(**व्यवधान**)... कभी नहीं होता था।

SHRI GHULAM NABI AZAD: I must put that too on record. यह आपने ही शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इस वक्त जल रहा है और आप यहां कहते हैं, पूरा देश खुश है। माननीय गृह मंत्री जी, इसी तरह से आप demonetization लाए, GST लाए, ट्रिपल तलाक बिल लाए, 370 लाए, एनआरसी लाए, Citizenship (Amendment) Bill लाए। आप लोगों का ध्यान बेकारी और बेरोज़गारी से, किसानों से, महंगाई से हटाने के लिए हर 4 महीने में इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं।

†یہ آپ نے ہی شروع کر دیا۔ اروناچل پردیش، منی پور، میگھالیہ، ناگالینڈ، پریپورہ اس وقت جل رہا ہے اور آپ یہاں کہتے ہیں، پورا دیش خوش ہے۔ مانئے گرہ منتری جی، اسی طرح سے آپ demonetization لائے، جی۔ایس۔ٹی۔ لائے، ٹرپل طلاق بل لائے، 370 لائے، این۔آر۔سی۔ لائے، Citizenship (Amendment) Bill لائے۔ آپ لوگوں کا دھیان بیکاری اور بیروزگاری سے، کسانوں سے، مہنگائی سے ہٹانے کے لئے ہر چار مہینے میں اس طرح کا بل لاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں۔

MR. CHAIRMAN: Please understand, the Leader of the Opposition himself met me and told me, 'Sir, my Party's time is this much, but I am going to intervene.' I said, 'okay'. He had himself told me that he would take maximum five-six minutes. I allowed that. I can allow him another two minutes also. ...*(Interruptions)*... What is your problem? You have got a capable Leader of the Opposition who is very gentle and knowledgeable. You needn't have any doubt about his capacity; I assure you that he is capable. I have got all the respect for the Leader of the Opposition.

†Transliteration in Urdu script.

Normally, when the Leader of the Opposition asks for time, we try to be more liberal than at normal times. So, I have been telling the Chair even earlier that if Congress Party wants to give more time, let them spare some of their time. That is the only advice. Otherwise, we have no problem. Now, the Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, to intervene. ...*(Interruptions)*... पहले चेयर भी नियमों का पालन करते थे, एलओपी भी नियमों का पालन करते थे, इसलिए कभी नहीं था।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में participate करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

MR. CHAIRMAN: He can intervene. You know that. He would intervene, out of his own Party's time.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बहुत ही limited बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: No, no. You have time, the Party's time. आपकी पार्टी का टाइम है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। देश के लिए भारत की परम्परा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और जिस तरह से हम लोगों ने सभी विचारों के लोगों का सम्मान किया है, हमारे उस संकल्प को दोहराता हुआ यह बिल है। सर, आज मैं यहां पर बहस सुन रहा था। कुछ बड़े अनुभवी लोगों, कानून की जानकारी रखने वाले लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी से पूछा गया कि क्या देश के विधि विभाग ने आपके बिल को vet किया है? सर, आपके आशीर्वाद से मैं भी इस सदन का वर्षो तक सदस्य रहा हूं - इधर भी रहा हूं, उधर भी रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा सवाल मैंने नहीं सुना। सर, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं नरेन्द्र मोदी सरकार का विधि और न्याय मंत्री हूं, हमारी सरकार के सारे बिल विधि विभाग के द्वारा vet करके ही लाए जाते हैं। अगर उनका कुछ दूसरा अनुभव होगा, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, यह बिल भी हमारे कानून विभाग ने, हमारे Legislative विभाग ने विस्तार से देखा है और इसे संवैधानिक पाया है, तब उसके बाद यह बिल केबिनेट ने पास किया और सदन के सामने है। इसलिए कुछ बड़े अनुभवी लोगों ने जो टिप्पणी की, तो मुझे लगा कि मैं देश के कानून मंत्री के रूप में उसका स्पष्ट प्रतिकार सदन के इस पटल पर करूं। सर, बहुत कानूनी बातें उठाई जा रही हैं कि आपको power कहां है, यह discriminiatory है। यहां बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुभव के बावजूद कोई सवाल उठाते हैं, तो जवाब देना तो हमारा फर्ज बनता है। हम इस

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

सदन की power को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? Article 246 of the Constitution में साफ लिखा हुआ है कि यह सदन संविधान के Seventh Schedule की List-I के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है। सर, समय के कारण, I am not going to reproduce Article 246, but it very clearly defines the power of Parliament and the power of the State Legislative as per the subjects enumerated in List-I in the Seventh Schedule. सर, मैं खाली दिखाना चाहूंगा कि Seventh Schedule List-I की Entry 17 में लिखा हुआ है, citizenship, naturalisation and aliens, तो संविधान के अंतर्गत ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, don't interrupt him. ...*(Interruptions)*... Hon. Law Minister, look here and go by the Chair. I will not allow this.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैंने यह इसलिए कहा कि संविधान में सीधा इस सदन को और उस सदन को citizenship के संबंध में, naturalisation के संबंध में, सारे विस्तार से कानून बनाने की power है। पहला, तो इस सदन को यह अधिकार है। दूसरी बात बार-बार कही जा रही है, Article 14 का उल्लंघन है और ऐसे लोग बोल रहे हैं, जो कानून की समझदारी भी रखते हैं। सर, आर्टिकल 14 क्या कहता है? Right to equality and equal protection of law. That is the substance of Article 14. सर, उसी में सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं दर्जनों फैसले हैं कि 'reasonable classification' हो सकता है and that 'reasonable classification' must subserve the objective of the Bill. सर, इस सदन के सामने मैं बड़ी विनम्रता के साथ 2003 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की सिर्फ दो लाइन पढ़ना चाहता हूं, para 19, "The equality clase enshrined in Article 14 of the Constitution of India is of wide import. It guarantees equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. The restriction imposed by reason of a statute, however, can be upheld in the event it is held that the person to whom the same applies, forms a separate and distinct class and such classification is a reasonable one based on intelligible differentia having nexus with the object sought to be achieved." सर, यह कानून है। अब आज माननीय गृह मंत्री जी जो बिल लाए हैं, यह क्या कहता है? वह कहता है कि यह पांच-छः प्रकार के आस्था के लोग, जो वहां पर victimise हो रहे हैं, जिसके evidence भी हैं, हम उनको भारत देश में नागरिकता देंगे। उसके लिए Passport Act में exemption करेंगे और बाकी उनको illegal immigrant नहीं मानेंगे और इसकी डेट भी हमने 2014 की फिक्स की है। यह एक reasonable group है, यह group अपनी आस्था के कारण victimised group है, उसके बहुत रिकॉर्ड्स हैं। इसको माननीय गृह मंत्री जी विस्तार से बताएंगे। So, there is a group; it is a reasonable group; it is having a reasonable classification and having a rational nexus

with the objective of the Bill. उनको हमें हिंदुस्तान में जगह देनी है। यह संविधान से बिल्कुल सम्मत है। सर, एक बात मैं और कहूंगा कि कोर्ट ने एक बात और कही है कि if something is arbitrary, वह भी आर्टिकल 14 का violation है, यह कई लोगों ने कहा। इसमें क्या arbitrary है? अगर भारत देश अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्यताजनक मूल्यों के अनुसार, आज ऐसे victimised लोगों को स्थान दे रहा है कि आओ, भारत तुम्हें जगह देगा, क्योंकि तुम अपनी आस्था के कारण परेशान हो, इसमें क्या गलत है? इसमें असंवैधानिक क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं।

सर, एक बात बार-बार कही गई, तो मैं Article 25 भी पढ़ना चाहूंगा। यह भी Fundamental Right है, इसको हम लोग कम पढ़ते हैं। Article 25 - "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion." एक समय वे भारत के अंग थे। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इन सारे इलाकों के अधिकांश लोग भारतीय थे। वह बंटवारा किन कारणों से हुआ, इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा की और आगे भी चर्चा होगी, लेकिन अगर आज उन्हें अपनी Freedom of Religion को प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो भारत के Fundamental Rights के अनुसार Article 25 में भी सरकार का यह दायित्व है कि वह उन्हें यह अवसर प्रदान करे।

महोदय, अब बात की जा रही है- Article 21 - Right to Life and Equal, आर्टिकल 21 का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि Right to live with dignity और अगर आज भारत सरकार को लगता है कि उन्हें डिग्निटी का अवसर नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें हम आज स्थान दे रहे हैं, उन्हें नागरिकता दे रहे हैं, तो हम तो आर्टिकल 21 के mandate को पूरा कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कहां कर रहे हैं?

महोदय, अभी विपक्ष के नेता ने बात कही, वे बड़े नेता हैं और कश्मीर से आते हैं। सर, हमारी पार्टी ने कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। श्री नितिन जयराम गडकरी और श्री राजनाथ जी भी उसके अध्यक्ष थे और मैं सचिव था और कई लोग मेम्बर थे। हमने दर्जनों बार कश्मीर की यात्रा की। मैंने उन कैम्पों को भी देखा, जिनमें सन् 1948 से लेकर आज तक लोग रह रहे हैं, उन्हें वहां न permanent resident का status मिला, नागरिकता की बात तो छोड़ दीजिए, वोटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, वे न मकान बना सकते थे, न कुछ कर सकते थे। सर, मैं आपको बताऊं ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह ठीक नहीं है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... कोई कैम्पों में नहीं रहता। ...**(व्यवधान)**... सब मकानों में रहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) :** یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ غلط جانکاری دے رہے ہیں ...(مداخلت)... کوئی کیمپوں میں نہیں رہتا ...(مداخلت)... سب مکانوں میں رہتے ہیں...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: No, no please. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... You can't have running commentary. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, अब मैं इनसे बहस नहीं करूंगा। मैं उन कैम्पों में घूमकर खुद आया हूं। मैं आपसे differ करता हूं। ...**(व्यवधान)**... आप बिलकुल गलत बता रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं खुद घूमकर आया हूं। मैं अकेला नहीं था और लोग भी मेरे साथ थे। कई एम.पी. मेरे साथ थे। श्री राजनाथ सिंह जी भी मेरे साथ थे, ...(व्यवधान) ... माया सिंह जी भी गई थीं और सुनना चाहते हैं आप ...**(व्यवधान)**... जगत प्रकाश नड्डा भी साथ गए थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, यह कहना कि असत्य बोल रहे हैं, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*... Don't engage in discussions. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am not. ...*(Interruptions)*... सर, वहां पर हम गए थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You don't worry. ...*(Interruptions)*... What I am permitting will only go on record. ...*(Interruptions)*... Please; let us not engage personally.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, वहां हमसे एक बात कही गई थी और वह यह बात थी कि हमारी गलती यही है कि हम उस समय के कश्मीर के नेताओं का विश्वास करके यहां रुक गए। अगर हम भी पंजाब में चले गए होते, तो हम भी वहां प्रधान मंत्री या उप-प्रधान मंत्री बनते। हमें गर्व है नरेन्द्र मोदी सरकार पर, आर्टिकल 370 को समाप्त करके उन्होंने हमें सम्मान दिया है, आप इस बात को क्यों नहीं कहते? महोदय, जो इस तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उपेक्षा की पद्धति के आधार पर victimized हैं, हमने उन्हें स्थान दिया है। ...**(व्यवधान)**...

---

†Transliteration in Urdu script.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, the screen is blank. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मुझे एक अंतिम बात यह कहनी है कि इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ने एक बात कही और कहा गया कि आप हर चीज को कोर्ट में चैलेंज कराते हैं। भाई, यह देश आजाद है, यहां ज्यूडिशियरी भी आजाद है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है। माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा कि इमर्जेंसी नहीं है। कोर्ट में रोज PIL होती हैं, लेकिन वे यह बताएं कि in law making, we are sovereign. As per Constitution, the two House of Parliament are sovereign in law making. यह कौन सा तर्क है कि कोर्ट क्या कहेगा? मैं बहुत विनम्रता से उन्हें बताना चाहूंगा कि इस संसद में हम ज्यूडिशियरी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस संसद को यह अधिकार है कि वह कोर्ट के फैसले को भी undo कर सकता है, उसके grounds को हटाकर, यह हमारी पावर है। अब ऐसे लोग, जो बड़े-बड़े वकील है, वे कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप कोर्ट को adjudicating power दे रहे हैं। हमारा पूरा कानून संविधान सम्मत है, हमारा पूरा कानून, कानून के अनुसार है। अगर कोई चैलेंज करेगा, तो सरकार की ओर से प्रभावी दलील दी जाएगी, लेकिन उसके आधार पर वर्षों से सांसद रहे लोग, इस सदन के मजबूत, सार्वभौम कानून बनाने के अधिकार पर सवाल कर रहे हैं, यह मेरे ख्याल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि the law which is supposed to be discussed today and passed by this House is constitutional, valid and in national interest and also subserves a larger humanitarian order. That's what I have to say. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Before the hon. Home Minister replies, I appeal to all the hon. Members to see that they are all present in the House. There will be voting afterwards. As a precaution, I am telling. Once the hon. Home Minister completes his reply, there will be voting. So, keep that in mind.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: There may not be voting also.

MR. CHAIRMAN: Yes, there may not be voting, but I have only explained the system.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय सभापति महोदय, आज दोपहर बारह बजे से लेकर अब तक इस महत्वपूर्ण विधेयक पर, इस बिल पर 44 अलग-अलग सांसदों ने अपने विचार पर रखे हैं। सभी लोगों ने इस बिल के बारे में कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियाँ, कुछ सवाल, कुछ समर्थन अपने-अपने विचार के अनुसार इस सदन के पटल पर रखा है। मैं एक-एक करके सभी चीजों का, सभी शंकाओं का समाधान और सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा।

[श्री अमित शाह]

मान्यवर, सबसे पहले कुछ सम्मानित सदस्यों ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया, संविधान के अलग-अलग आर्टिकल्स को क्वोट करके यह बिल गैर-संवैधानिक है, ऐसा कहकर अपना विचार व्यक्त किया है। कुछ सदस्यों ने यह भी सवाल खड़ा किया कि इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? कुछ सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि यह बिल political agenda के तहत लाया जा रहा है, इससे भेदभाव होगा। उन्होंने अपना ऐसा विचार भी व्यक्त किया है। मैं एक के बाद एक सभी बातों का जवाब दूंगा, मगर पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवालों और शंकाओं का समाधान एक पृष्ठभूमि के कारण ही होता है।

मान्यवर, यह बिल कभी नहीं लाना पड़ता, इस हाउस को इस बिल पर कभी बहस नहीं सुननी पड़ती, इस बिल से भारत के कानूनों की सूची में कभी भी सुधार नहीं आता, अगर इस देश का बंटवारा न हुआ होता। यह बिल आज इसलिए लाना पड़ रहा है, क्योंकि इस देश का बँटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनके समाधान के लिए मैं आज यह बिल लेकर इस सभा गृह के सामने उपस्थित हुआ हूं। यदि कोई सरकार इसका पहले समाधान निकाल लेती, तो भी मुझे आज यह बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर मान्यवर, सरकारें ऐसे चली हैं कि समस्याओं के साथ दो-दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो। मान्यवर, इस प्रकार से सरकारें चली हैं। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, बल्कि देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है। मान्यवर, मुझे भी मालूम है कि controversy होगी और हो रही है। मान्यवर, हमें क्या आवश्यकता थी? हमारे पास पाँच साल के लिए मेंडेट था। जिस तरह सभी ने सत्ता का सुख भोगा है, उसी तरह हम भी सालों तक सत्ता का सुख भोग सकते थे। मान्यवर, कल कौन-सा चुनाव होना है? कल इसका कौन सा राजनीतिक फायदा उठाना है? चुनाव साढ़े चार सालों के बाद हैं, मगर हम देश की समस्याओं को कितने सालों तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को cumulative effect में बड़ी करते रहेंगे? जो-जो सत्ता में रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप आज रात को रूम में अंधेरा करके अपनी आत्मा के साथ संवाद कीजिए। ...**(व्यवधान)**... अगर यह बिल पचास साल पहले लाया गया होता, तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। मान्यवर, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... हँसना बहुत सरल है, हँसने की छुट्टी भी है। सभापति महोदय हँसने से रोकते नहीं हैं, परन्तु आप इतना याद रखिएगा कि जब आप हँसते हैं, तो करोड़ों पीड़ित लोग भी आपको देखते हैं कि आप हमारी पीड़ा पर हँस रहे हैं। आप हमारी पीड़ा पर हँस रहे हैं...जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वे भी ज़रा याद रखेंगे।

मान्यवर, सिर्फ विभाजन नहीं हुआ। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनन्द शर्मा जी के टोकने के बाद भी, कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और यह सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता, तो यह बिल लेकर कभी भी नहीं आना पड़ता। मान्यवर, सावरकर जी को quote किया गया, जिन्ना को quote किया गया, उसका मैं बाद में जवाब देना चाहता हूँ। मगर वे कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, कहाँ से यह बात लेकर आए? उनके ही नेता, देश के प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समझौता किया था। नेहरू-लियाकत अली समझौता 1950 में दिल्ली में हुआ, जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 8 अप्रैल, 1950 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ यह समझौता है। उसकी पहली बात है कि 8 अप्रैल, 1950 को जो समझौता हुआ, उसको दोनों पक्षों ने स्वीकृति दी कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को बहुसंख्यकों के साथ अपने देश में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, राजनीतिक अथवा अन्य कार्यालय का पद ग्रहण करने तथा अपने देश की सिविल तथा सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर दिया जाएगा, वे अपने धर्मों का मुक्त रूप से अनुसरण कर पाएँगे तथा व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। दोनों देशों ने एक-दूसरे देश से यह वादा किया था। किससे वादा किया था? अपने-अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों से। मान्यवर, उन वादों का क्या हुआ? आज मैं पाकिस्तान के कई कानून quote कर सकता हूँ। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए। कुछ सदस्यों ने आँकड़े बताए, कल मैंने भी लोक सभा में बताया था कि 23 परसेंट से 3 परसेंट हो गए, 22 परसेंट से 7 परसेंट हो गए। यहाँ क्या हुआ? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान थे, इस सभा गृह के सभापति भी मुसलमान थे, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुसलमान थे, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति भी मुसलमान थे। यहाँ minority को संरक्षित और संवर्द्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादों को नहीं निभाया। इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वे इस देश में आए। अब वे कहाँ जाएँ? क्या हम उनको नागरिकता नहीं देंगे?

अभी गुलाम नबी साहब बता रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, मेरे विभाग ने past में जो जवाब दिए हैं, उनको उन्होंने quote किया कि इतनी-इतनी संख्या है। यह सही है। अगर यह कानून नहीं आता है और किसी से पूछेंगे कि क्या आप विदेशी हो, तो सब लोग ना बोलेंगे। कौन हाँ बोलेगा? मगर यह कानून बनने के बाद जब हम कहेंगे कि आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम protect करेंगे, तो जब नागरिक बनने की संख्या आएगी, तब गुलाम नबी साहब, इस सदन में मैं भी होऊँगा और

[श्री अमित शाह]

आप भी होंगे, लाखों-करोड़ों होंगे, यह मैं सदन की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए, क्योंकि आपने उनको protect करने की व्यवस्था ही नहीं की। वे कैसे अपने आपको जाहिर करते? जाहिर करते, तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ती। आज नरेन्द्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इससे वे निर्भीक होकर कहेंगे कि हाँ, हम शरणार्थी हैं, हमें नागरिकता दीजिए। हम उनको retrospective effect से नागरिकता देने का provision लेकर आए हैं। जिन्होंने जख्म लगाए हैं, वे ही पूछते हैं कि जख्म क्यों लगे? आपकी सरकारों के कारण ही वे लोग यह घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं और विदेश से आया हूं और आज आप ही यह सवाल पूछ रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज तक वे लोग नरक की यातना झेल रहे हैं, वे ही उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम भारत के नागरिक नहीं हो? आप इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए? क्या आपने अपने आंख, कान सब बंद कर दिए हैं? क्या आपको उनका अंतर्नाद, उनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती हैं? आज तक लाखों-करोड़ों लोग चीत्कार-चीत्कार कर कहते रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर आपने उनके साथ न्याय नहीं किया।

गुलाम नबी साहब पूछते हैं कि देशों का चयन किस तरह से किया गया? गुलाम नबी साहब, पहली बार हम नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आए हैं। यह कई बार हुआ है। कई बार इस देश ने नागरिकता दी है। जब श्रीलंका से आए हुए लोगों को नागरिकता दी गई, तो क्या मैं भला यह पूछ सकता हूं कि उस वक्त आपने बंगलादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोग आए, उनको नागरिकता दी गई, तो क्या मैं भला यह पूछ सकता हूं कि बंगलादेश और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी गई? अब मैं ऐसा कहूं कि चूंकि वे हिन्दू थे, इसलिए आपने उन्हें नागरिकता नहीं दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग से एक-एक समस्या को एड्रेस किया जाता है। आनन्द शर्मा जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं, आप दु:खी मत होइए। ...**(व्यवधान)**... मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ...**(व्यवधान)**... मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जब श्रीलंका की समस्या हुई, तब श्रीलंका की समस्या को एड्रेस करने के लिए आप कानून लाए, उनके लिए प्रोविज़न किया और उसमें सिर्फ श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों को एड्रेस किया गया। जब युगांडा से लोग आए ...**(व्यवधान)**... जब युगांडा से लोग आए, तब युगांडा की समस्या को एड्रेस करने के लिए क्या हमने विरोध किया? उस समय आपने सिर्फ युगांडा को लिया। आज भारत की भूमि सीमा से जुड़े हुए सिर्फ इन तीन देशों की धार्मिक लघुमति, जो शरणार्थी बनकर आई है, उन्हीं की समस्या को एड्रेस करने के लिए हम यह बिल लाए हैं, इसलिए इसमें इन्हीं तीन देशों का जिक्र है। जब इन्दिरा जी ने बंगलादेश के सारे शरणार्थियों को 1971 में स्वीकारा, तो उस वक्त श्रीलंका वालों को क्यों नहीं स्वीकारा

गया, लेकिन हमने उनके इरादों पर शंका नहीं की। देश के सामने जो समस्याएं होती हैं, उनको हल करने का प्रयास किया जाता है, तभी उन समस्याओं का समाधान होता है। इसको राजनीतिक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।

फिर गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि आप ध्यान बंटवाने के लिए यह बिल लाए हैं। गुलाम नबी साहब, हमें ध्यान बंटवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बड़े पुराने और अनुभवी सांसद हैं। हम यह बिल 2016 में भी लेकर आए थे और तब यह बिल ज्वाइंट कमिटी में भी गया था, उसके बाद इसे लोक सभा ने तो पारित कर दिया था, लेकिन राज्य सभा में इसे पारित नहीं होने दिया गया, इसीलिए यह अटक गया था। उस वक्त, 2016 में हमें ध्यान बंटाने की क्या जरूरत थी? हमें ध्यान बंटाने की कोई जरूरत नहीं है। चुनावी राजनीति हम अपने दम पर लड़ते हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता पर लड़ते हैं और जीतते हैं। देश की समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है और हम मानते हैं कि सरकारों का ही यह दायित्व होता है। हम अपने उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। हम जब देश की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं कि आप ध्यान बंटाना चाहते हो। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है।

मान्यवर, मैं फिर से लियाकत-नेहरू समझौते पर आता हूं। लियाकत-नेहरू समझौता होने के बाद सभी देशों के संविधान बने। वह समझौता भी बाकी समझौतों की तरह फाइलों में रहा। संविधान कैसे बने? आज मैं अफगानिस्तान के संविधान के अनुच्छेद-2 को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है", यानी उस देश का घोषित धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश का संविधान शेख साहब ने तो ठीक ही बनाया था, लेकिन 1977 और 1988 में उसे बदला गया। इसके अनुच्छेद-2 (क) में लिखा गया है, "बांग्लादेश रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है।" इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अनुच्छेद-2 में लिखा गया है, "पाकिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है।" मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि ये तीनों देश हमारे देश की भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं। भारत-पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है, भारत-बांग्लादेश की सीमा 4,096 किलोमीटर है और भारत-अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। ये जो तीनों देश हमारी भौगोलिक सीमा से सटे हुए हैं, इसकी अलग-अलग कानूनी व्याख्या हो सकती है, मगर वे एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट्स हैं।

अब मान्यवर, बहुत बड़ा सवाल यहाँ से यह खड़ा किया गया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि 6 धर्मों के लोगों को ला रहे हैं, इसका कोई appreciation नहीं है, सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है, यह बात पूछी जा रही है। खैर! ...**(व्यवधान)**... क्यों नहीं है, यह भी मैं बताता हूँ। मान्यवर, वह क्यों नहीं है, मैं यह भी बताता हूँ। यह बिल हम इन तीन देशों के अन्दर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर

[श्री अमित शाह]

हुई है, उनको शरण देकर, उनके सारे past के जो कागजात नहीं हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ कर नागरिकता देने के लिए लेकर आये हैं। जब मैं 'minority' शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो विपक्ष में से कोई मुझे बता दे कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम मत के अनुयायी 'minority' कहे जायेंगे? नहीं कहे जायेंगे। जहाँ तक धार्मिक प्रताड़ना का सवाल है ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, जहाँ तक धार्मिक प्रताड़ना का सवाल है ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: *

श्री मोहम्मद अली खान: *

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: *

श्री मोहम्मद अली खान: *

MR. CHAIRMAN: You think you have got every right. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: राज्य का धर्म ही जब इस्लाम है, तब इस पर प्रताड़ना होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अली खान: *

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए न। ...(**व्यवधान**)... यह बात आप बाद में जाकर बताइए। ...(**व्यवधान**)... बाद में जाकर बताइए, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है, तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। अगर फिर भी किसी को application करना है, तो वह करने का कानून में प्रावधान है और हम उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। हमारे पाँच साल के कार्यकाल के अन्दर 500 से ज्यादा ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You cannot have a running commentary and clarification. ...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded.

श्री अमित शाह: अभी आप बैठ जाइए। बाद में पूछिए न। ऐसे नहीं होता है। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद पूछिए।

MR. CHAIRMAN: The Home Minister is replying.

श्री अमित शाह: सर, फिर भी इक्का-दुक्का किसी की प्रताड़ना होती है, तो उनको भी नागरिकता देने का प्रोविज़न हमारे यहाँ है और मोदी जी के शासन में, 5 साल में तीन देशों के सैंकड़ों मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी है। परन्तु जब एक general दृष्टि से देखते हैं और सामान्य दृष्टि से जो हो रहा है, उसको हम स्वीकारते हैं, तो मान्यवर, यह माना जायेगा कि जहाँ Islamic State है, वहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए इसमें सिर्फ हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को ही रखा है। अब हमारी पार्टी की पंथनिरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिये गये! भाई, सिर्फ हिन्दू रखा है क्या, सिर्फ सिख रखा है क्या? इसके अन्दर बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं और क्रिश्चियन भी आ रहे हैं। इसमें कहाँ पंथनिरपेक्षता नहीं है? सिर्फ मुसलमान आयेगा, तब ही पंथनिरपेक्षता हो जायेगी। आपकी पंथनिरपेक्षता की व्याख्या बड़ी सीमित है, हमारी व्यापक है। जो प्रताड़ित है, उसी को लाना, यह हमारी व्याख्या है। आपकी व्याख्या है कि जब मुस्लिम आयेगा, तब ही पंथनिरपेक्ष माने जाओगे, तब ही धर्मनिरपेक्ष माने जाओगे। हमारी व्याख्या इतनी सीमित नहीं है।

अब कपिल सिब्बल साहब, चिदम्बरम साहब और आनन्द शर्मा जी ने अनुच्छेद 14 का एक मुद्दा जो उठाया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मान्यवर, ढेर सारे judgements हैं, मैं बाद में बताता हूँ। दोनों है। कपिल सिब्बल साहब, अगर इस प्रकार के arguments सब clients सुन लेंगे, तो थोड़ी दिक्कत आयेगी। ढेर सारे judgements हैं। मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता, जो reasonable classification पर आधारित हो और reasonable classification आज यहाँ है। हम किसी एक धर्म को नहीं दे रहे हैं। हम इन तीन देशों की minorities को ले रहे हैं और सभी की सभी minorities को ले रहे हैं। हम एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी उस क्लास को, जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है, जिनके धर्म को बचाने का खतरा है, जिनकी महिलाओं की इज्जत को बचाना उनके लिए खतरा है, ऐसी minorities के सभी के सभी धर्मों को ले रहे हैं। यह एक निश्चित क्लास है। इसलिए reasonable classification के आधार पर इस संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसी के तहत यह विधेयक मैं लेकर आया हूँ, मान्यवर। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मैं यह जो अमेंडमेंट लेकर आया हूं, इसके अंदर एक बुद्धिगम्य विभागीकरण किया है, जिसके पीछे एक क्राइटीरिया भी है। यह बुद्धिगम्य विभागीकरण जो किया है, इसके लिए भी intelligible

[श्री अमित शाह]

differentia ढेर सारे जजमेंट्स मैं अभी पढ़ता हूं, क्योंकि उन्होंने एक भ्रांति खड़ी करने का प्रयास किया है कि ऐसा नहीं कर सकते।

मान्यवर, बुद्धिगम्य विभाजन और reasonable classification के आधार पर कहीं पर भी यह बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल्स को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मैं थोड़े जजमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात तो है, मगर उचित वर्गीकरण की बात भी है। सबसे पहले Dalmia *vs.* Justice Tendolkar उसमें अनुच्छेद 14 था, सही दायरा निम्नानुसार दोहराया गया। अब यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 विधान का निषेध करता है, जबकि यह कानून प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि अनुमय वर्गीकरण के परीक्षण को प्रायोजित करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा। अर्थात वर्गीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण विवेक के आधार पर करना होगा। ये दोनों रिक्वायरमेंटस यहां पर सैटिस्फाई होती हैं।

इसके बाद ढेर सारे जजमेंट्स हैं, Navtej Singh Johar बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, जिसमें उचित भिन्नता को स्वीकार किया गया है। इसके बाद Parisons Agrotech बनाम भारतीय संघ का एक जजमेंट है, इसमें सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स हैं। जिसमें आर्टिकल 4 को ठीक ढंग से परिभाषित किया गया है और मैं मानता हूं कि आज भी मैं जो बिल लेकर आया हूं, यह किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का हनन नहीं करता है। दोनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, दोनों संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में कोर्ट घुस जाएगा। कोर्ट ओपन है, कोई भी व्यक्ति अदालतों में जा सकता है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपने विवेक, बुद्धि से कानून बनाना है और जो हमने किया है, मुझे विश्वास है कि यह कानून अदालत में भी सही पाया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आप दोनों वहां आर्ग्युमेंट करने के लिए जाएंगे तो कोर्ट भी आपको बतायेगी कि क्या ठीक है।

मान्यवर, कॉंग्रेस पार्टी अजीब प्रकार की पार्टी है। सत्ता में होती है तो अलग-अलग भूमिका में उसके अलग-अलग सिद्धांत होते हैं। हम 1950 से कहते हैं कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं किया। हम शुरू से कहते हैं कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए, चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में हों, हम इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। मैं कॉंग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में एक पत्र चीफ मिनिस्टर राजस्थान का है, जब सम्माननीय चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, यह तब लिखा गया था। ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... You don't get into this.

...*(Interruptions)*... Shri Vaiko, this is a very bad habit. ...*(Interruptions)*... You are very senior. Please follow the practice. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: He should not mislead the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can't do it. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... He is talking about something else and you are raising a point about something else.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, श्रीमान् चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, तब चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने उनको एक पत्र लिखा, पत्र में क्या लिखा? "Outstanding issues - a large number of Pakistani refugees Hindu and Sikh community". सिर्फ दो ही, हम तो छः लेकर आए हैं, उसमें क्रिश्चियन को भी रखा है। जो राजस्थान के बॉर्डर पर आए हैं और कॉंग्रेस पार्टी ने दो बार 2005 व 2006 में रियायत दी है और जिन 13 हजार लोगों को रियायत दी है, उनमें दो ही धर्मों के लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी आप जरा सुन लें, दो ही धर्मों के 13 हजार लोग नागरिक बने। मगर वह नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कॉंग्रेस जो करेगी वह तो सारा सेक्युलरिज्म है, जो करो वह सही है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आप कब तक माइनॉरिटी को मूर्ख बनाओगे।

मान्यवर, कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि आपसे कोई मुसलमान नहीं डरता। मान्यवर, कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि आपसे कोई मुसलमान नहीं डरता। मैं तो नहीं चाहता कि डरे, लेकिन आपके ही लोग कहते हैं कि डर है, डर है, डर है, डर है, मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबको भरोसा होना चाहिए और मैं minority को कहता हूँ कि ज़रा भी चिंता मत कीजिए।

मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूँ कि यह बिल भारत में रहने वाले किसी भी minority को और विशेष कर मुस्लिम भाई-बहनों को ज़रा भी नुकसान करने वाला नहीं है, क्योंकि यह बिल सिर्फ कुछ विदेशियों को नागरिकता देता है, किसी भारतीय की नागरिकता छीनता नहीं है। इस बिल से किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है। इस बिल के किसी प्रोविज़न को निकाल कर मुझे कोई यह बता दे। हम किसी की नागरिकता छीनने नहीं जा रहे हैं। हम वहां से जो बेचारे शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, इस पर भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हैं? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया। बाद में मैं उस पर आता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है। मगर हमने सम्मान दिया है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, भारतीय की नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। यह तो वहाँ से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिन्दू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, उनको

[श्री अमित शाह]

नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं, इसलिए मेहरबानी करके politics करिए, परन्तु politics करके देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूँ कि यह बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और यह जो आग लगती है, वह अपने ही घर को जलाती है। इसलिए इस आग से किसी को नहीं खेलना चाहिए।

मान्यवर, मैं 25 नवम्बर, 1947 के काँग्रेस पार्टी के एक संकल्प को पढ़ना चाहता हूँ, जो काँग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। काँग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब मेरा शब्द प्रयोग सुनिएगा, गैर-मुस्लिमों को, मैंने तो गैर-मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिन्दू, सिख..., "काँग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर-मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है, जो अपने जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं।" अब आप काँग्रेस पार्टी के resolution को भी नहीं मानते हैं। आपने तो नहीं माना, हम मान रहे हैं, तो आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं इसका source बताता हूँ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, Selected Documents and Sources by Jagdish Saran Sharma, Volume 3, पृष्ठ नं 835, यह पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। आप इसको निकाल कर ज़रा पढ़ लीजिएगा।

दूसरा, महात्मा गांधी जी, जिनको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक को मानना भी चाहिए, हम भी उन्हें मानते हैं, उन्होंने 26 सितम्बर, 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, "पाकिस्तान में रह रहे हिन्दू और सिख, सिर्फ हिन्दू और सिख", दिग्विजय सिंह जी, "सिर्फ हिन्दू और सिख", "यदि वे वहाँ नहीं रहना चाहते, वे निस्संदेह भारत आएं, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना। इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, बल्कि उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, यह भारत सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है।" यह महात्मा गाँधी जी ने कहा है और इन्होंने सिर्फ हिन्दू और सिख कहा है। सिर्फ आपको जो वह मुस्लिम, मुस्लिम चिपक गया है, इसलिए यह कह रहा हूँ। यह ज़रा बाद में चिपका है, पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं,... मुसलमान की भी समस्या है, तो उसका समाधान निकालेंगे न, मगर आज समस्या हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है, इसलिए उसका समाधान निकाल रहे हैं। इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है?

मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई सदस्यों ने कहा है, डा. मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, देश के पूर्व प्रधान मंत्री यहाँ बैठे हैं। उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य, डा. मनमोहन सिंह जी ने कहा, "महोदया, जब मैं इस विषय पर बात करता हूँ, तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों की प्रति बर्ताव के बारे में बताना चाहूँगा, अल्पसंख्यक, मतलब वहाँ के, जिसमें मुसलमान नहीं

आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अगर हालत इन लोगों को मजबूर करती है, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करनी है। जो डाक्टर साहब ने कहा, हम कर रहे हैं, मगर कॉंग्रेस विरोध करेगी। मान्यवर, ये जो Benches change होती हैं और एप्रोच बदलती है, मैं यह नहीं मानता। अभी बड़ी-बड़ी आवाज़ से हमारे सम्माननीय सदस्य देरेक ओब्राईन जी ने कहा – ममता बनर्जी जी ने लोक सभा में 04.08.2005 को कहा - बंगाल में घुसपैठ आपदा बन गई है। आप मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ-साथ भारतीय नाम देख सकते हैं। मेरे पास...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, this is misleading the House.

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Check the verbatim record. Sir, check the verbatim record.

MR. CHAIRMAN: You can't. ...*(Interruptions)*... प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... You can't make instant comments. ...*(Interruptions)*... Shri Derek O'Brien, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...(Interruptions)... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. You will have. ...*(Interruptions)*... If it is wrong, you can move a motion. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

श्री अमित शाह: मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है।...**(व्यवधान)**... मैं जानना चाहती हूँ कि सदन में इसकी चर्चा कब होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... If it is wrong you can move a motion. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: अब चर्चा कर रहे हैं, पर आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No; no, don't go and encourage other Members. ...*(Interruptions)*... You are asking Members to violate the Rules. ...*(Interruptions)*... Please don't do it. ...*(Interruptions)*... I am not hearing you. I have not permitted

---

*Not recorded.

you. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down, let the Minister reply. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: *

MR. CHAIRMAN: You can give notice, if something wrong has been quoted. No. ...*(Interruptions)*... You please carry on. ...*(Interruptions)*... Home Minister, carry on. Home Minister, carry on. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, is the Home Minister yielding?

MR. CHAIRMAN: If he is yielding, he will tell me. ...*(Interruptions)*... Home Minister, please carry on.

श्री अमित शाह: माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेहरू-लियाकत अली का जो एग्रीमेंट था ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have a point of order.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, there is a point of order.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: What is going on? This is unfair.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, point of order. How can you not allow a point of order?

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, नेहरू-लियाकत, जो एग्रीमेंट था, वह एग्रीमेंट, जिसकी spirit को पड़ोसी देशों ने लागू नहीं किया ...**(व्यवधान)**... इसको honour करना हर सरकार का धर्म है और नरेन्द्र मोदी जी मानते हैं कि जिसकी प्रताड़ना हुई है, उन सबकी सरकार को मदद करनी चाहिए।...**(व्यवधान)**... जो लघुमती इन तीन देशों के हैं, उन तीनों देशों के लोगों को नागरिकता देनी चाहिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, point of order.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have a point of order.

---

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: First, create order. ...*(Interruptions)*... First, create order then I will hear you. ...*(Interruptions)*... You make your Members to follow the order. ...*(Interruptions)*... You are not allowing your own leader. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Let him quote the rule. ...*(Interruptions)*... No; you can't do it like this. ...*(Interruptions)*... You can't do it. ...*(Interruptions)*... I will not allow. ...*(Interruptions)*... Let everybody sit down; the Member should quote the rule and then raise the point of order. ...*(Interruptions)*... When there is disorder, you can't raise a point of order. It is known to you ...*(Interruptions)*... Let everybody sit down and let the Member quote the rule. ...*(Interruptions)*... Yes, please; that is what I am saying. ...*(Interruptions)*... That should have been done in the beginning itself without all these. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am quoting Rule 258 which says and I quote, "Any Member at any time submit a point of order for the decision of the Chair." Sir, it is my right. It cannot be curbed. That is number one.

MR. CHAIRMAN: You have not submitted any point of order to me. ...*(Interruptions)*... How can I allow it? ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am coming to that. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, इनको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सब चीज़ों का जवाब दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is under Rule 238.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhendu Sekhar Ray, you hear me. ...*(Interruptions)*... You just hear me. ...*(Interruptions)*... Any Member desiring to raise a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Yes, I am raising it under Rule 238.

MR. CHAIRMAN: Will you allow the Chair? ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is under Rule 238. Why am I raising it? Why I am raising the point of order...

MR. CHAIRMAN: Will you allow the Chair? ...*(Interruptions)*... Will you allow the Chair? ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Why I am raising the point of order that I am going to explain. Why am I raising the point of order?

MR. CHAIRMAN: I have not permitted anybody to do anything. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is Rule 238.

MR. CHAIRMAN: You must first request the Chair; you must quote the Rule and then you must make your submission. हंगामा करके, दबाव डालकर ऐसे नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... I am the last man. You have got every right to raise a point of order but you must quote these rules. Now, you are quoting. That is what I am saying. You just have the patience. Nothing is going to happen within one minute or two minutes. The point is if any Member at any given time wants to raise a point of order, if he thinks that things are going out of order, he can give a motion to me. I am ready to hear. First, things went out of order; disorder has been created and then you started raising a point of order. So, please, it is not correct. ...*(Interruptions)*... Can we have a replay? It is not possible, I think, in the House that we can see what happened in the House. Can we see what has happened in the House? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: We have the verbatim.

MR. CHAIRMAN: And I would like the people of India to see this, particularly, because this has already happened. ...*(Interruptions)*... And now you raise the point of order. ...*(Interruptions)*... Yes, raise the point of order. ...*(Interruptions)*... Don't shout at the Chair. I am the last man to oblige you on that. Please understand. That is my point. You have to quote the rule and then seek the permission. I am ready to give you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I tried long to invite your kind attention to the rule. But you were not looking at me, you were not allowing me. That is my problem. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. That is not fair. ...*(Interruptions)*... By making allegation, I will not allow. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is not allegation. ...*(Interruptions)*... That is my problem. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have been looking at you along with 15 of your colleagues. Fifteen of your colleagues were standing. ...*(Interruptions)*... Am I wrong or right? Fifteen of your colleagues were standing. Sukhenduji, you are a very well-educated person, you are well versed with the rules, if you also speak in such a language, I cannot help it. And then saying 'you' to the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I am referring to Rule 238. I am the last person to violate any rule. Rule 238(v) 'Rules to be observed while speaking',—and this rule is applicable to all the Members — it says, "A Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion." Some remarks have been made on the conduct of the hon. Chief Minister of West Bengal and that cannot be allowed...*(Interruptions)*... Yes. ...*(Interruptions)*... Yes. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: He was referring to the speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: And we have the record. ...*(Interruptions)*... We have the record. ...*(Interruptions)*... What has been said, that is misleading because we have the record. ...*(Interruptions)*... We have the record with us. We shall table it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: We shall table it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Have you completed? Shall I tell? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: महोदय, मैं स्पष्ट कर देता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैं आपको मौका दूँगा। It is my duty to see that the rules are observed. You have raised the point of order under Rule 238(v) and you are saying that something derogatory has been mentioned about a person in high office. If at all any such thing is there, ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Misleading statement, referring to the name of our Chief Minister. He has named the Chief Minister. ...*(Interruptions)*... He has named the Chief Minister. ...*(Interruptions)*... And she is not a Member of this House. ...*(Interruptions)*... She cannot defend herself. ...*(Interruptions)*... Try to understand. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No charge has been made. ...*(Interruptions)*... A reference has been made to the statement made in the Lok Sabha. ...*(Interruptions)*... If you think that it is misleading, you can give notice. ...*(Interruptions)*... Mantriji, please...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, इनके गुस्से को तो मैं समझ सकता हूँ कि वह क्यों आता है। परंतु मैंने न हाउस को मिसलीड किया है, न सुश्री ममता बनर्जी के लिए कोई अपशब्द या कोई गलत बात कही है। दिनांक 4.8.2005 को सुश्री ममता बनर्जी लोक सभा में जो बोलीं, उसको मैंने quote-unquote बोला है। मैंने कभी नहीं कहा है कि किस reference में यह कहा गया है। क्यों इतना गुस्सा हो जाते हैं? ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

श्री अमित शाह: मैंने कैसे मिसलीड किया? ...**(व्यवधान)**... जो लिखा है, वह मैंने पढ़ा है!

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मैंने मिसलीड क्या किया? ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, मिसलीडिंग क्या है? ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Let it be authenticated. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is this challenging and then showing the gesticulation?...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Let it be authenticated first. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: First ask your Members to sit down. Then I can allow you. ...*(Interruptions)*... There is nothing wrong in asking for authentication. ...*(Interruptions)*...The Minister ...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: As per the rules, it is to be authenticated. ...*(Interruptions)*... It must be authenticated, as per the rule. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: This way, I cannot engage. I cannot engage like that and I will ask the Minister to conclude his speech and then go for voting. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Should I show the rule again? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What can I do? If you violate and go on insistently...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Other Members, please. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF RAILWAYS; AND THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing anybody. Anything said by a Minister, you want it to be authenticated. The Minister is saying that he is quoting that from authenticated source; this is the end of the matter. What is the problem? ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Now, Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Unless it is authenticated, how can the statement be challenged? ...*(Interruptions)*... Unless it is authenticated. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Right. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Take the help of the Secretariat. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have already accepted. ...*(Interruptions)*... What else do you want?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Take the help of the Secretariat. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am saying that he is quoting it and he has to authenticate it. He will do it. ...*(Interruptions)*...

7.00 P.M.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Take the help of the Secretariat. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, एक के बाद एक सभी सदस्यों ने अपनी बात सदन के सामने रखी है, मैं उसका जवाब दूंगा। मान्यवर, आनन्द शर्मा जी ने कहा कि विभाजन हुआ, इसका हमें भी दुःख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण हुआ! मुझे नहीं मालूम कि यह स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया भी है या नहीं दिया है, किंतु मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। ...**(व्यवधान)**... आप मेरी बात सुनिए। मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता, किंतु पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और उनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़ आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, इनको मालूम नहीं है कि मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please carry on. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: पार्लियामेंट में बोलने का मेरा अपना एक तरीका है। मान्यवर, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी ने भी विभाजन की मांग की, कॉंग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया, धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? मैं स्पष्टता से मानता हूं कि इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन कॉंग्रेस पार्टी की ही देन है, जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record...*(Interruptions)*... Nothing is unparliamentary. प्लीज़ बैठ जाइए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, उन्होंने कहा कि विवेकानन्द जी ने पारसी और यहूदियों का उल्लेख करके कहा, इसको हम मानते हैं। विवेकानन्द जी ने ठीक ही कहा था, हम भी मानते थे, पारसी और यहूदी वहां से धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहां आए, उनको हमने नागरिक बनाया, ये भी धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहां आए, आज हम उनको नागरिक बना रहे हैं। अगर आप विवेकानन्द जी को मानते हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं हैं?

मान्यवर, इन्होंने जो कहा है कि 11+1 की जगह 5+1 क्यों किया? इसका एक तर्क आनन्द शर्मा जी ने मांगा था, मैं उन्हें तर्क देता हूं। मान्यवर, 11 और 1 का जो प्रावधान था, उससे इस बिल के अंदर एक कट ऑफ डेट रखी है, 31 दिसम्बर, 2014, अगर हम

11 + 1 का प्रावधान रखते तो उनके 11 साल, 3 दिसम्बर, 2014 में जो पूरे हुए, उनके 11 साल वर्ष 2025 में पूरे होते। उन लोगों को इतने समय तक राह न देखनी पड़े इसलिए इस प्रोविज़न को कम करते हुए 11+1 की जगह स्पेशल क्लास के लिए 5+1 का प्रोविज़न किया है, जिससे वर्ष 2020 से ही वे लोग अपनी नागरिक बनने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे।

मान्यवर, देरेक ओब्राईन जी चले गए ...**(व्यवधान)**... वे आएंगे। उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा के लिए प्रतिबंध है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि बंगाल के अंदर प्रतिबंध है। हमने ऐसा कहा था, कल ही कहा था कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन के लिए हाई कोर्ट से जाकर परमिशन लानी पड़ती है, ऐसा कहा था। ऐसे ढेर सारे केसेज़ हैं। वहां पर हिन्दू को प्रशासन परमिशन नहीं देता, हाई कोर्ट में जाकर परमिशन मांगनी पड़ती है, हाई कोर्ट बंगाल प्रशासन को ऑर्डर करती है, तब परमिशन मिलती है।

मान्यवर, ये सब नाज़ी का, जर्मनी का उल्लेख कर रहे थे, ओब्राईन जी, अखबारों में आने के लिए हम कुछ भी कहें, मगर पूरी दुनिया वास्तविकता जानती है कि हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां आज भी दोनों सदन ठीक चलते हैं, अगर इमरजेंसी का काल छोड़ दें तो कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहां पर रोका नहीं गया था, सिर्फ इमरजेंसी के काल में थोड़े समय के लिए रुका, बाद में जनता ने उसको भी स्वीकार किया, परंतु हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कभी भी नहीं रोका गया। मान्यवर, इसके बाद चिदम्बरम साहब ने कहा कि तीन देश क्यों लिए? मैंने इस बात का जवाब दिया है कि तीन देश क्यों लिए? हिंदू, सिख और पारसी इनको किस तरह से select किया, minority हैं, इसलिए select किया। श्रीलंका और भूटान को क्यों छोड़ा? इसके बारे में भी मैंने कहा आज तक कॉंग्रेस के शासन में भी सिटिज़नशिप में जब-जब बदलाव हुए, एक समस्या के लिए हुए हैं। इस बार भी एक निश्चित समस्या... तीन देश जो भौगोलिक रूप से भारत से सटे हुए हैं, उनकी minority को धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहां आए, इसके लिए किया था। महोदय, उन्होंने कहा कि कैसे साबित करोगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है? एक... मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने भी पूछा था, उसका मैं जवाब देता हूं। उन्होंने आर्टिकल 14 का भी जिक्र किया, जिसका जवाब मैं already दे चुका हूं। श्री शिवा ने कहा कि बाकी राज्यों को क्यों नहीं लिया है? शिवा जी, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि हर बार एक समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने काम किया है। जब तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी, लगभग 4.6 लाख श्रीलंकाई तमिलों को दी है, मैं आंकड़े आगे बताऊंगा, तब भी बंगलादेशियों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी, इसलिए तमिलनाडु के साथ यह भेदभाव नहीं है। जब तमिलनाडु के लिए दी, तब अकेले श्रीलंका प्रॉब्लम के लिए ही दी थी। आपको मेहरबानी करके अपने मन में

[श्री अमित शाह]

इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। रोहिंग्या को क्यों नहीं लिया? रोहिंग्या सीधे हमारे देश में नहीं आते हैं। वे बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां आते हैं। आपके मन में यह पहले से स्पष्ट और साफ होना चाहिए। श्री रंगराजन जी ने भी तमिल का सवाल उठाया था और मैंने जवाब भी दिया। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, यह देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि यह देशद्रोही है। ऐसा कभी नहीं कहा। मैं इस बात को deny करता हूं। मान्यवर, आज मुझे आश्चर्य होता है कि सत्ता के लिए लोग कैसे-कैसे रंग बदलते हैं? मान्यवर, ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Vaiko, please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Rangarajan, please sit down. Nothing will go on record. You have to seek permission. Once the Minister concludes, then seek permission. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: *

MR. CHAIRMAN: Mr. Vaiko, I will have to name you! Don't provoke me further. This is the sixth time today that you are defying the Chair and speaking as you like. You can't do it. Please sit down. Don't create an unhealthy situation. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, ...**(व्यवधान)**... मान्यवर,...**(व्यवधान)**... कल लोक सभा में शिव सेना ने इस बिल का समर्थन किया था ...**(व्यवधान)**... मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि चाहे मुझे न बताएं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि रात को क्या हुआ कि शिव सेना ने अपना स्टैंड बदल दिया। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: संजय जी, बाद में ...**(व्यवधान)**... बाद में।

श्री अमित शाह: मान्यवर, सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने कहा कि ...**(व्यवधान)**... इस बिल में 2014 की date क्यों रखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी को कहना चाहता हूं कि हम इस बिल को 2016 में लेकर आए थे, तब भी इसका प्रोविज़न यही था। इस बिल के बारे में सबसे चर्चा करके जो सुझाव आए, इसको थोड़ा बदला, तब इसमें 2014 की date रखी गई है। हमारा और कोई आशय नहीं है। उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों

*Not recorded.

को क्यों छोड़ा? मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिमों को नहीं छोड़ा है। वहां धार्मिक रूप से मुस्लिम प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहां से लिया। सर, मनोज झा जी ने कहा कि इतिहास तय करेगा। मनोज झा जी, निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक इन लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इनको नरेन्द्र मोदी जी ने न्याय देकर इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। लाखों-करोड़ों लोग नरक की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक के लालच में आंखें अंधी हुई थीं, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती थीं। नरेन्द्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी केवल और केवल पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए यह बिल लेकर आए हैं।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, will he yield for seeking clarifications?

MR. CHAIRMAN: If he yields, that is a different matter. Otherwise, please wait for your turn.

SHRI ANAND SHARMA: Sir,...

MR. CHAIRMAN: I can't allow it.

श्री अमित शाह : मान्यवर, सिक्किम के माननीय सदस्य Hishey Lachungpa जी ने कहा कि 371 को dilute न करें। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बिल किसी भी तरह से 371F को dilute नहीं करता है। सिक्किम को 371F में मिले हुए सारे अधिकार अबाधित हैं। मान्यवर, आर्टिकल 14 की तो मैंने बात की ही है। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि धार्मिक प्रताड़ना हुई है? कितना बड़ा सवाल पूछा! ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैंने नहीं कहा।

श्री अमित शाह: कपिल सिब्बल जी, आप बोले हैं, आप record देख लीजिए, मैं तो उसी वक्त लिखता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: मैंने कहा कि उन्होंने declaration दिया है कि वे यहां के नागरिक हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: इसका तो मैंने जवाब दिया ही है।

MR. CHAIRMAN: Kapilji, you will get an opportunity. No, no; this is not allowed. No Member has got a special right. If at all a Member's name is taken, he can request the Chairman and wait for his turn. ....*(Interruptions)*... If his name is taken by the Minister, definitely, he will be allowed.

श्री अमित शाह: मान्यवर, अगर कपिल सिब्बल जी ने ऐसा नहीं कहा है तो मेरा जवाब भी record पर न रहे, लेकिन अगर कहा है तो मेरा जवाब जरूर record पर रहना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब, पूरी दुनिया, United Nations Commission on the Status of Refugees की ढेर सारी रिपोर्ट्स, दुनिया भर के अखबार, भारत के कई अखबार - और आप भी बंगाल या असम के अंदर चले जाइए तो आपको भी ढेर सारी कहानियां मिलेंगी। बहुत से सिख दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 21 हज़ार से ज्यादा सिख रहते हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं। हमें कैसे मालूम पड़ा - क्योंकि हमारे आंख और कान खुले हैं, वोट बैंक के लालच ने हमारे आंख और कान बंद नहीं किए, इसलिए हमें मालूम पड़ता है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते - नहीं डरने चाहिए और आप डराइए भी मत। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया है, तो सिब्बल साहब, मुझे बताइए कि इसमें जो भारत का मुसलमान है, उसका अधिकार कैसे जाता है? उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा है। यह बिल नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी इस बिल के द्वारा नहीं हो रही है। इसलिए मैं minority से कहता हूं कि आप अपप्रचार में मत आइए, इस भ्रामक प्रचार में मत आइए, यह जो आपको डराने का कार्यक्रम है, वह political कार्यक्रम है। वास्तविकता यह है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की citizenship से स्नान-सूतक कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि इससे यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग विस्थापित होंगे।

श्री संजय सिंह: पूर्वांचल के लोग।

श्री अमित शाह: पूर्वांचल, राजस्थान सबके - कोई विस्थापित नहीं होगा, इसकी चिंता आप मत करिए, हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें इस बिल से किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री संजय सिंह: *

श्री सभापति: यह record पर नहीं जा रहा है। आप अपनी energy waste कर रहे हैं।

श्री अमित शाह: अभी Citizenship (Amendment) Bill चल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. The Minister need not reply to him. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा, मैं इतना ही कहता हूं कि अभी हम

*Not recorded.

Citizenship (Amendment) Bill पर चर्चा कर रहे हैं, Citizen (Amendment) Bill के अंदर किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रस्ताव ही नहीं हैं। जो प्रताड़ित लोग हैं, जो minority हैं - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, किश्चियन - उन्हें नागरिकता देने का प्रस्ताव है, लेने का प्रस्ताव नहीं है। मुझे idea of India समझाने का प्रयास करते थे। आप idea of India जहां समझाना हो, समझा दीजिए, मेरी तो सात पुश्तें यहां जन्मी हैं, मैं विदेश से नहीं आया हूं। ...**(व्यवधान)**... मुझे मालूम है, idea of India. मुझे कभी भी मत समझाइए। हम तो इसी देश में जन्मे हैं और यहीं मरेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: आप तो रिफ्यूजी थे। आप तो बाहर से आए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर, एसपी के माननीय सदस्य जावेद अली खान ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान जी, आप भी चाहेंगे तो भी यह देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले - यह नरेन्द्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और commitment है । मैं गर्व से कहना चाहता हूं और नरेन्द्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है - इस देश का संविधान, जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने की परमिशन नहीं देता है। इसलिए न आप चिंता करिए और न दूसरों को भी चिंता कराइए। मान्यवर, श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों का विषय ढेर सारे सदस्यों ने उठाया। मैं सबका नाम नहीं लूंगा। शिवा जी ने उठाया, अपने सीपीआई(एम) सदस्य ने उठाया, वाइको साहब ने उठाया और बहुत सारे सदस्यों ने उठाया। 1947 से अलग-अलग समय पर श्रीलंकन नागरिकों को नागरिकता भारत की सरकार ने, अलग-अलग समय पर सभी दलों की सरकारों ने दी है। 4 लाख, 61 हजार ऐसे लोगों को दी गई, 1983 के बाद आए हुए श्रीलंकाई शरणार्थियों में से 2 लाख, 16 हजार शरणार्थी वापस श्रीलंका भी जा चुके हैं और अभी करीब 95 हजार रह गए हैं। मगर मैंने पहले ही कहा कि किसी के साथ अन्याय की बात सोचने का सवाल ही नहीं है। वाइको साहब, किसी के साथ अन्याय करने की इस सरकार की मंशा भी नहीं है। जब श्रीलंकन नागरिकों को दिया था, तब भी इन लोगों को नहीं दिया था। जब हम एक समस्या को लेते हैं, तब पूर्ण रूप से इसका निवारण करने का प्रयास करते हैं।

मान्यवर, कपिल सिब्बल जी ने एक-दो रूल्स quote किए, जिनमें एक Entry 2, Passport Act और एक Foreigners Order था। 2015 और 2016 में ही ये दोनों Rules बदल दिए गए हैं। इसके notifications भी निकल चुके हैं। आपने एक साथ कई कानूनों जिक्र किया, आर्टिकल 370 का जिक्र किया, ट्रिपल तलाक का जिक्र किया और यह भी कहा कि अब आप CAB लेकर आए हो, ये सब anti-Muslim हैं। मान्यवर, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि न CAB anti-Muslim है, न आर्टिकल 370 है, न ट्रिपल तलाक anti-Muslim है। ट्रिपल तलाक, इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है, जो आज तक नहीं हो सका। क्या माताएं, बहनें नागरिक नहीं हैं? क्या माताओं और बहनों का कोई

[श्री अमित शाह]

अधिकार नहीं है? वह आज तक नहीं था। नरेन्द्र मोदी सरकार ने वोट बैंक को सिरे रखते हुए, इन माताओं और बहनों को अधिकार दिया है। आर्टिकल 370, क्या कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं? क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? हमें इस तरह से क्यों सोचना है? आर्टिकल 370 सबके लिए हटाया है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं हटाया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी, आज भी कश्मीर में शांति है और सारे मुसलमान शांति के साथ रह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, CAB कैसे anti-Muslim बनेगा? CAB के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, पड़ोसी देशों की जो बाकी माइनॉरिटी हैं, उसको देने का सवाल है। मैं नहीं मानता हूं कि CAB किसी भी तरह से anti-Muslim हो सकता है ।

मान्यवर, असम के दोनों सदस्यों ने सारी चिंताएं व्यक्त की हैं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1985 में, जो असम समझौता हुआ था, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और वहां के आंदोलनकारियों के बीच में, इसमें जो Clause 6 है, वह Clause 6 असम के मूल लोगों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, उनका साहित्य और चुने हुए Legislative Assembly और स्थानीय इकाईयों की जगहों पर, उनके minimum reservation के, उनके लिए जो reservation चाहिए, इसकी चिंता करने के लिए एक Clause 6 था। मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, Clause 6 पर कोई कमेटी नहीं बनी। वायदा कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, मगर उस पर अमल नहीं किया। जो जोर-जोर से बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि असम में 15 साल आपकी ही सरकार थी और असम के ही राज्य सभा के सदस्य देश के प्रधान मंत्री थे और असम में ही सरकार थी और यहां पर भी 10 साल रही। मगर Clause 6 को कभी भी जमीन पर नहीं उतारा गया। असम के लोगों को Clause 6 सिर्फ कागज पर दिया गया। नरेन्द्र मोदी सरकार ने Clause 6 के लिए असम के लोगों की कमेटी बनाई है और जिसकी रिपोर्ट आते ही असम समझौते का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मान्यवर, मैं असम के सभी भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपकी भाषा की भी चिंता करेंगे, आपके साहित्य की भी चिंता करेंगे, आपकी बोलियों की चिंता, जो ट्राइबल्स की है, उसकी भी चिंता करेंगे और आपको उचित पोलिटिकल रिज़र्वेशन मिले, उसकी भी चिंता हम करेंगे। किसी को इस पर शंका रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं अब कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इन्हें बताने के पीछे मेरा मकसद यह है कि सदन के माध्यम से देश भर की जनता को और आपके माध्यम से सदन के सारे सम्माननीय सदस्यों को कुछ वास्तविकता मालूम पड़ेगी। हर political party जो इसका विरोध कर रही है कि यह बिल क्यों लेकर आए हो, मैं उन्हें कुछ चीजें, जो एक-दो दिन की प्रक्रिया हुई, उसके अनुसार समझाना चाहता हूं। गुलाम नबी आज़ाद

साहब ने कुछ अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया, मगर एक अलग दृष्टिकोण भी है, जिसे मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

मान्यवर, दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर एक ट्रांजिट कैम्प है, भट्टी माइन्स, संजय कालोनी बस्ती में। वहां साहिबा और रबेजी नाम की दो बहनें, बहुत कठिनाई से भागकर यहां आई हैं। वे अपने पतियों और बच्चों के साथ वर्ष 2013 में कराची से भारत आई थीं। उनका कहना है कि वहां युवा लड़कियों और जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, sexually प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कुबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। अब तक हमें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन आज यह बिल आने के बाद हमें नागरिकता मिल जाएगी और हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं। इसीलिए यह बिल पारित किया जा रहा है।

मान्यवर, रिफ्यूज़ी कैम्प में शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइन्स में ही, गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की, किरण ने रोते-रोते टीवी के सामने बोलते हुए बताया कि हम नहीं बता सकते कि हम रिफ्यूज़ी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं - जो पूछते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं, जिन्हें आंकड़ा नहीं आता, मैं उनके लिए बता रहा हूं - क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं। इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ती है। अब यह बिल आया है, तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं।

मान्यवर, शौकत राम, अपने परिवार के साथ 13 वर्ष के थे, तब आए थे और अब जब वे 32 वर्ष के हो गए और तीन बच्चियों के पिता बन भी चुके हैं, वे कहते हैं कि हमारा बहुत लम्बे समय से एक सपना था कि हम सम्मान के साथ देश के अंदर नागरिक बनकर जी पाएंगे। अब हमारा सपना साकार होगा।

महोदय, श्री बलराम ने अपने मित्रों को पाकिस्तान के सिंध में फोन करके कहा- जय श्रीराम, आज हमारे सारे सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। 44 वर्षीय एक और हिन्दू महिला, जमना ने कहा कि वहां बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जाती है, हमने पाकिस्तान में कुत्ते से भी बदतर जीवन जिया है। हम नया जीवन आरम्भ करने के लिए, श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।

मान्यवर, उनमें से ही एक महिला ने बताया, जो दलितों के कैम्प में रहती है कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दलितों को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री, लियाकत अली ने भारत के उच्चायुक्त से कहा कि अगर उन्होंने जाने की अनुमति दी, तो कराची की सड़कों को कौन साफ करेगा? इन सबको सम्मान देने के

[श्री अमित शाह]

लिए सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार लाई है और आप इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए समझना पड़ेगा कि जिन दलित भाइयों को वहां से इस प्रकार के एक घिनौने मकसद के कारण नहीं आने दिया गया, यदि वे आज यहां आते हैं, तो उन्हें नागरिक बनाने का बिल हम लेकर आए हैं।

मान्यवर, श्री रवि जी सोडा, जो राजस्थान के बॉर्डर पर आए हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से आनन्द व्यक्त किया है। बांग्लादेशी हिन्दू शरणार्थियों के साथ काम करने वाली एक संस्था- "निखिल बंग नागरिक संघ" ने भी कहा कि वहां पर हम पर प्रताड़ना हुई है। मुझे मालूम नहीं पड़ता, यहां आने के बाद भी अब तक भारत सरकार ने सिंधियों या अन्य व्यक्तियों की तरह हमें क्यों नहीं स्वीकारा, लेकिन आज हम मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें स्वीकारा है।

मान्यवर, यह जो पीड़ा है, यह पीड़ा उन लाखों-करोड़ों लोगों की है। यहां टेक्निकली आंकड़ा पूछना, बहुत सरल है, मगर यह आंकड़ा जो छोटा रहा है, मैं अभी भी कहता हूं कि कॉंग्रेस की सरकारों ने अब तक उन्हें नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं की थी। यह सदन मेरा समर्थन कर देगा, तो आज यह बिल पारित होने के बाद जब नागरिकता शुरू होगी, तब आंकड़ा मैं भी देखूंगा, आंकड़ा आप भी देखेंगे और अगले साल इस पर चर्चा भी करेंगे।

मान्यवर, कई सारी बातों पर सवाल उठाए गए। एक तो मेरी समझ में यह एक बात नहीं आती कि जब मैं कॉंग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद यह coincident ही होगा, इरादे में कोई कमी नहीं होगी, परंतु कॉंग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल-मिल जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, ये क्या कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: ये क्या कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह: मान्यवर ...(व्यवधान)... कल ही पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज इस सदन में जो बयान दिए हैं ...**(व्यवधान)**... वे एक-समान हैं। वे एक-समान हैं। ...**(व्यवधान)**... एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए ...**(व्यवधान)**... वे बयान और कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान एक-समान हैं। ...**(व्यवधान)**... सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान ...**(व्यवधान)**... कॉंग्रेस के नेताओं के माध्यम से दिए गए ...**(व्यवधान)**... और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम से दिए गए ...**(व्यवधान)**... वे एक-समान हैं। ...**(व्यवधान)**... आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए ...**(व्यवधान)**...

और उसको ...(**व्यवधान**)... यू.एन. में ...(**व्यवधान**)... कॉंग्रेस के नेताओं के बयान को ...(**व्यवधान**)... यू.एन. में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने क्वोट किया।...(**व्यवधान**)... वे भी एक-समान हैं। ...(**व्यवधान**)... और Citizenship (Amendment) Bill के लिए भी ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: आप कल का पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का बयान देख लीजिए ...(**व्यवधान**)... और आज के कॉंग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए ...(**व्यवधान**)... दोनों एक-समान हैं। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आता है! ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: पाकिस्तान पर ...(**व्यवधान**)...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : پاکستان پر ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: अरे भाई, आप इतना बौखलाते हैं, तो ...(**व्यवधान**)... मैं पूछना चाहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी ने Enemy Property Bill का विरोध क्यों किया था? ...(**व्यवधान**)... क्या justification था? ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, कॉंग्रेस पार्टी ने Enemy Property Bill का विरोध क्यों किया? ...(**व्यवधान**)... इसका जवाब दें। ...(**व्यवधान**)... यह नाराज़ होगा, वह नाराज़ होगा ...(**व्यवधान**)... हम सही काम नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, जो सही होता है, वह सही होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: *

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. Why are you wasting your energy? ...*(Interruptions)*...

श्री बी. के. हरिप्रसाद: *

श्री गुलाम नबी आज़ाद: गिफ्ट कौन देता था? ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد** : گفٹ کون دیتا تھا؟ ...(مداخلت)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर ...(**व्यवधान**)... और लोक सभा के अंदर ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: *

† **جناب غلام نبی آزاد** : *

†Transliteration in Urdu Script.

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Ghulam Nabiji, please. ...*(Interruptions)*... This is not the way. आप बैठ जाइए। After the Minister completes his reply, you can ask clarifications, if any. ...*(Interruptions)*... You can't make commentary in between. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: *

†جناب غلام نبی آزاد : *

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. ...*(Interruptions)*... Nothing shall go on record other than what the Chairman permits. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं अब आपको इन तीनों देशों के अंदर धार्मिक लघुमतियों पर ...(**व्यवधान**)... अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं ...(**व्यवधान**)... वे अत्याचार बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, ये सब निकाल दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record other than what the Chairman permits. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, अब मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर वहाँ की ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ...(**व्यवधान**)... उन पर जो अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: *

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू लड़कियों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ...(**व्यवधान**)... यह 2014 की एक रिपोर्ट बताती है। ...(**व्यवधान**)... सर, जब मैं पाकिस्तान बोलता हूं तो इनको उस पर गुस्सा क्यों आता है ...(**व्यवधान**)... यह मेरी समझ में नहीं आता है? भाई, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)... इस पर आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... इससे एक गलत मैसेज जाएगा। वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं और आप रिएक्ट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसा मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... इस बारे में आपके जो references हैं, आप उनको समय आने पर पूछ सकते हैं। Please sit down. ...*(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu script.

*Not recorded.

श्री अमित शाह: UNHRC की रिपोर्ट ने 2014 में कहा कि वहाँ 428 हिन्दू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए हैं। ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है। 1947 में वहाँ पर जो 23 प्रतिशत religious minority थी, अब 3.7 प्रतिशत रह गई है।

मान्यवर, बांग्लादेश के अन्दर भी जब तक शेख मुजीबुर्रहमान थे, सब ठीक चला। जैसे ही शेख मुजीबुर्रहमान की सरकार गई, एक अँधे कानून की तरह वहाँ की धार्मिक लघुमतियों के ऊपर अत्याचार हुए। मैं आपको बताता हूँ कि ढेर सारे बांग्लादेशी हिन्दुओं को यहाँ शरण में आना पड़ा। चिटगौंग के कैवल्यधाम में अक्टूबर, 1990 में हमला किया गया, जिसमें 300 घरों में आग लगा दी गई। एक बार 200 हिन्दू महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध किया गया। ...**(व्यवधान)**... उस दिन 2 अक्टूबर के दिन। मान्यवर, अभी की सरकार वहाँ की धार्मिक लघुमतियों की चिंता कर रही है। वह इसके लिए प्रबन्ध भी कर रही है, मगर एक लंबा काल खंड गया है, जिसके तहत धार्मिक प्रताड़ना के मारे ये लोग हमारे देश में आए हैं। इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए यह बिल है।

मान्यवर, 1992 के पूर्व अफगानिस्तान में दो लाख सिख और हिन्दू थे। अब 2018 में UN की एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक केवल 500 सिख और हिन्दू परिवार बचे हैं। दो लाख में से सिर्फ 500! मान्यवर, हमें मालूम है कि बामियान के अन्दर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी। तोपें चलाई गईं, उसको उड़ाया गया। सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया। वहाँ से सारे लोग भाग कर भारत आए। उनकी रक्षा के लिए है यह बिल। वहाँ पूजा स्थल पर जाने की मनाही है, मुस्लिमों की आलोचना करने की मनाही है। अल्पसंख्यकों को अपने घर पर निशानी के तौर पर अपमानित तरीके से एक पीला कपड़ा टाँगना पड़ता है। हिन्दू और सिख महिलाओं को, चाहे उनके कपड़े का कलर कोई भी हो, उस पर पीला टीका लगा कर एक कपड़ा टाँगना पड़ता है, जिससे वे चिन्हित हों और अफगानिस्तान के कई प्रान्तों में बुर्का पहनना भी compulsory कर दिया गया है।

मान्यवर, पाकिस्तान के अन्दर क्रिश्चियनों के ऊपर भी ढेर सारे अत्याचार हुए हैं। मैं आज इस गरिमामयी सदन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सुलूक हो रहा है। उन्हें अछूत समुदाय माना जाता है। उनके जीवन की दशा दयनीय है। बेहद गरीबी की स्थिति में मलिन बस्ती में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया है। केरल के एक पादरी को वहाँ उठा कर ले जाया गया था। हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने intervene करके उनको छुड़ाने का काम किया। जुलाई, 2010 में कराची के बगल में मुराद मेमन गोठ में 150 क्रिश्चियन लोगों की बस्ती पर हमला किया गया और 34 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। चर्च को तोड़ दिया गया। मान्यवर, 2002 में कुछ

[श्री अमित शाह]

बंदूकधारियों ने तक्षशिला के क्रिश्चियन अस्पताल में बम फेंके, जिसमें दो नर्स और दो नन सहित चार लोगों की मौत हुई और 25 लोग घायल हुए। 2009 में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने कराची शहर के बीचों-बीच क्रिश्चियन चैरिटी संस्था पर हमला करके 6 लोगों को मार दिया, 24 लोग घायल हुए। 2009 में एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ईसाइयों को मारने का आह्वान करने पर दो मुस्लिम बंदूकधारियों ने बुर्के में आकर एक चर्च पर बम फेंका, जिसमें तीन क्रिश्चियन बच्चियों की मौत हो गई। 2005 में सांगला हिल में तीन हजार मुस्लिम उग्रवादियों ने रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला किया और पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। मान्यवर, 2009 में गोजरा के दंगों में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हुए। 2011 में गुजरांवाला शहर में 500 प्रदर्शनकारियों ने ईसाई समुदाय पर हमला करके कम से कम 20 लोगों को मार दिया और ढेरों घायल हुए। 2013 में लाहौर की ईसाई बस्तियों पर मुसलमानों ने हमला करके 100 से ज्यादा घर जला दिए, जिनमें 20 लोग जिंदा जल गए। मान्यवर, मेरे पास इसके पूरे आंकड़े हैं और मैं इनको रिकॉर्ड पर भी रखना चाहता हूं, ताकि यह प्रेस का पार्ट बन सके। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You may place it on the Table.

श्री अमित शाह: मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह किसी की भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं लाया हूं अथवा किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं लाया हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... अभी मेरा भाषण चल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूं, आप चिंता मत करिए, आप बोलिए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, जो लोग यह चिंता कर रहे हैं कि इस देश की माइनॉरिटी और इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2013-14 में काँग्रेस का जो अंतिम बजट था, उसमें माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपये रखे गए थे और 2019-20 के बजट में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनके लिए 4,700 करोड़ रुपये दिए हैं। मान्यवर, उस्ताद से लेकर शागिर्द तक, उनके रोज़गार के लिए ढेर सारे कार्यक्रम यहां चालू हुए हैं। इस देश का वाइस प्रेज़िडेंट मुस्लिम बन सकता है, प्रेज़िडेंट मुस्लिम बन सकता है और इलेक्शन कमिशन का चेयरमैन भी मुस्लिम बन सकता है। हमारे देश में कहीं भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है। यह हमारे देश का गौरवप्रद इतिहास रहा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी भी इस विश्वास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यह CAB का जो बिल है, यह इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। यह नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इसी दृष्टि से सोचेंगे, तो फिर तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको हमें नागरिकता दे देनी चाहिए। कौन-से देश में ऐसा प्रावधान है? ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन देश सारे हैं, लेकिन ज़रा वहां कोई किसी एक भारतीय नागरिक को नागरिकता दिलवा कर देख ले? क्या वे नागरिकता दे सकते हैं या ले सकते हैं? हर देश ने अपने कानून बनाए हैं, हम भी अपना कानून बना रहे हैं। हरेक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती है। हम एक स्पैशल क्लास के लिए यह ऐक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसको आप लोग स्वीकार करें, यह विनम्र प्रार्थना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI RIPUN BORA: Sir, I have one point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have noted down the names of Members who are shouting. I will not give them an opportunity. Whatever you want to do, you may do. I am going to give opportunities to other Members who have been listening. नहीं, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... You will not get an opportunity as long as I am alive in this position. You threaten the Chair, challenge the Chair and you want an opportunity! ...*(Interruptions)*... I am going to call Members who have raised the issue ...*(Interruptions)*... Hon. Home Minister, Shri Digvijaya Singh has sent a note saying that he did not even speak in the debate, but his name was taken, and so he wanted that to be clarified.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। जब मैंने किसी चर्चा में भाग ही नहीं लिया, तो दो-दो बार मेरा नाम लेकर उन्होंने मेरा उल्लेख किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा, तो उसमें दिग्विजय सिंह बीच में कहां से आ गया? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, आपने मुसलमानों के तुष्टिकरण और भयभीत होने की बात कही। वाकई में एनआरसी से लेकर सीएबी तक ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मेरा सवाल इतना-सा है और ऑब्ज़र्वेशन भी है कि एनआरसी से लेकर सीएबी तक इस देश के मुसलमानों में भय है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, आपकी बात हो गई। ...**(व्यवधान)**... You cannot make a speech again. There is no such provision. ...*(Interruptions)*... This is not going on record.

श्री दिग्विजय सिंह: *

MR. CHAIRMAN: Shri Anand Sharma, do you want to seek clarifications? You cannot have another debate. You have rightly raised the issue because you have not spoken and your name was taken. So, I have given you the opportunity. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. Shri Anand Sharma, do you wish to seek clarifications? ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: आपका धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ और मेरा एक प्रश्न है। चूँकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो बिल वे लाये हैं, तो पहली बात यह है कि यह एक्ट तो 1955 का है, इसमें 9 बार ...**(व्यवधान)**... जी, यह इसमें संशोधन का बिल है, परन्तु क्योंकि आपने कहा कि 72 साल तक ये लोग, लाखों-करोड़ों लोग, जितनी भी संख्या हो, उस बहस में मैं नहीं जाता, किसी ने इन लोगों की पीड़ा नहीं सुनी, पुकार नहीं सुनी और बात नहीं सुनी। मेरा सीधा प्रश्न यह है, क्योंकि मैंने सुबह ही इस बात को कहा था कि जब भारत का संविधान बना था, संविधान में बँटवारे के बाद, पार्टिशन के बाद, जो विस्थापित-उत्पीड़ित लोग थे, उनको बिना किसी रोक के भारत में आने का, भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान संविधान ने किया।

दूसरी बात, जहाँ तक प्रश्न सिटिजनशिप एक्ट का है, क्योंकि इसमें तमाम वे लोग शामिल हैं, जैसा मैंने कहा कि जिन्होंने जन्म लिया ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please seek clarification. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। मैंने आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया था। संविधान का यह जो संशोधन बिल ये लाये हैं, वह 1955 का जो एक्ट है, उसकी तीन जगहों पर आपने प्रस्तावना की है। एक तो सिटिजनशिप एक्ट का 2(1)(a) है, उसमें आपने यह addition किया है।

MR. CHAIRMAN: Anandji, you have to seek a clarification only. You cannot make a speech.

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक मिनट। दूसरा, जो Schedule 3 के 6 में है, उसमें आपने

*Not recorded.

स्वयं कहा है कि आपने अवधि जो घटाई है, वह 11 साल से घटा कर 5 बरस की है, उसका आपने बताया। तो क्या यह कहना उचित होगा कि 72 साल तक वे तमाम लोग, जो बँटवारे से या पार्टिशन से प्रभावित हुए, पाकिस्तान चले गये, चाहे पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान, उनको भारत की नागरिकता और भारत में आने का सम्मान से कोई अधिकार नहीं था? ऐसी बात उचित नहीं होगी। मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। और तीसरा ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You have already sought three clarifications. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैंने पूछा। ...**(व्यवधान)**... वे मान रहे हैं। आप एक मिनट सुन तो लीजिए। एक मिनट सर।

MR. CHAIRMAN: I have to run the House and give opportunity to all. ...*(Interruptions)*... I myself have called you. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं बैठ जाऊँगा। ...**(व्यवधान)**... मेरे स्पष्टीकरण तो पूरे हो जाएँ। वरना स्पष्टीकरण में भी त्रुटि रह जायेगी, कमी रह जायेगी।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। स्पष्टीकरण has to be स्पष्टीकरण।

श्री आनन्द शर्मा: आपने जो बाकी बताया कि सरकारों ने अलग-अलग समय पर, आवश्यकता के अनुसार देश की नागरिकता दी है। आपने उदाहरण दिये। तो क्या यह कहना उचित है कि कोई प्रावधान हमारे पास नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार को नागरिकता देने के अधिकार नहीं थे? ये मेरा स्पष्टीकरण है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, मैंने तो भाषण नहीं दिया, अभी भी नहीं दूँगा। Would the countries of origin of non-citizens or of so-called illegal immigrants be identified? Would they be deported to such countries where they came from or will they be confined to inhumane detention camps till their death?

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Swapan Dasgupta. ...*(Interruptions)*... Whoever has defied the Chair and shouted consistently is not going to be called at all. It is very clear. ...*(Interruptions)*...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, I just want to seek a clarification from the Union Home Minister that there has been a statement by the Chief Minister of a particular State — I am not naming that State — that the Citizenship (Amendment) Bill will not be allowed to be implemented. So, I want to know from the hon. Minister if this is a Bill for entire India and will cover all parts of India.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I just want to make an observation. I am deeply disturbed by the kinds of statements that have been made which actually tend to destroy what this nation stands for and I request the hon. Home Minister that to protect the secular fabric of this country, this should not be done.

श्री जावेद अली खान: माननीय सभापति जी, मेरा नाम लेकर माननीय मंत्री जी ने मेरा जो कथन उद्धृत किया, दरअसल वे उस वक्त यहाँ नहीं थे, इसलिए वे उसे दोबारा से सही कर लें। मैं यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि नेहरु-लियाकत एग्रीमेंट में अफगानिस्तान कैसे कवर होता है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सिर्फ रिलिजियस माइनॉरिटीज़ कहकर काम चल सकता है तो इसमें धर्मों के नाम का बघार लगाने की क्या जरूरत है?

†**جناب جاوید علی خان :** مائنے سبھا پتی جی، میرا نام لے کر مائنے منتری جی نے میرا جو کتھن ادّت کیا، دراصل وہ اس وقت یہاں نہیں تھے، اس لئے وہ اسے دوبارہ سے صحیح کر لیں۔ میں یہ کلیرفکیشن چاہتا ہوں کہ نہرو-لیاقت ایگریمینٹ میں افغانستان کیسے کور ہوتا ہے؟ دوسری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب صرف ریلیجئس مائنارٹیز کہہ کر کام چل سکتا ہے تو اس میں دھرموں کے نام پر بگھار لگانے کی کیا ضرورت ہے۔

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the hon. Home Minister narrated the series of atrocities against Hindus in Pakistan. My question is, is he not aware of the countless attacks taking place in India against Hindus and poor *dalits*?

श्री सभापति: मंत्री जी, आप बोलिये।

SHRI VAIKO: Sir, I would like to seek a very, very relevant clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, the Minister had given elaborate reply, still clarifications have been sought. He is responding. Please sit down. ...*(Interruptions)*... No, please sit down. I have given opportunity to three Members from the Congress Party also. ...*(Interruptions)*... ऐसा नहीं है। ...**(व्यवधान)**... Mr. Vaiko, please sit down. ...*(Interruptions)*... No, I have not permitted you. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Why are you tasting the patience of the entire House and the country? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, श्रीमान् दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुस्लिमों में

†Transliteration in Urdu script.

भय है, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं, आप बाद में केस में जाकर स्पष्ट कीजिए ...(**व्यवधान**)... बाद में बाहर केस में जाकर आप भी कहिए कि गृह मंत्री ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please, no cross talks. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: सी.ए.बी. से डरने की जरूरत नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Anandji, even if the Minister accepts, I am not going to give chance. ...*(Interruptions)*... I am conducting the House. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: डरने की जरूरत नहीं है, सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के मन में भय है, मैं भी कहूंगा, आप भी कहिए कि डरिये मत, इसमें भारत के मुस्लिम नागरिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने 72 साल कही, मैंने 72 साल नहीं बोला, मैंने कहा कि 70 सालों से बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, उनके लिए हम पहली बार कानून लेकर आए हैं, इसलिए मैंने कहा और एक large reference में कहा, इसमें आप संख्या वगैरह में मत पड़िये। इसके अलावा सुखेंदु जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को detention camp में जाना पड़ेगा, मेरा कहना है कि किसी को डिटेंशन कैम्प में नहीं जाना पड़ेगा। CAB के अभाव में नागरिकता न देने के कारण natural detention camp बन गए हैं। रेलवे के आसपास और खुली बस्तियों में। वे बेचारे अब अच्छे घरों में रह पाएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी, किसी को डिटेंशन कैम्प में नहीं जाना पड़ेगा। मैं स्वपन दासगुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी मर्यादा से कहा, आप संजीदगी के साथ बोलने वाले व्यक्ति हो, सबका लिहाज करते हो, लेकिन मैं स्पष्टता से कहता हूं...

श्री सभापति: कृपया मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री अमित शाह: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बंगाल समेत सारे देश के अंदर सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल लागू होगा।

श्री जावेद अली खान ने कहा कि जो नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, उसमें अफगानिस्तान कहां से आता है। अफगानिस्तान जब पहले भारत की सीमाओं में था, तब वहां की परिस्थिति अलग थी, बीच में एक इस्लामिक स्टेट आने के कारण वहां की माइनॉरिटी पर भी बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। इसलिए अफगानिस्तान को भी लिया गया, चूंकि हमारी 130 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है, इसलिए इसे इसमें समाहित किया है।

MR. CHAIRMAN: Bajwaji, as an exception, I am allowing you. I am not going to make any exception hereafter.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (Punjab): Okay, Sir. Thank you, Sir. मैंने होम मिनिस्टर साहब से एक clarification लेनी थी कि आपने minorities के लिए तीनों देशों में जहां persecution हो रही है, ये फैसिलिटीज़ अलाऊ कीं। हमारे देश में जो मेरा गांव है, उसका नाम कादियान है, यह गुरदासपुर में है। वहां एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है known as Qadianies और Ahmadiyaas. They are being persecuted in Pakistan since 1974. हमारी गुजारिश यह है कि आपने इन्हें जो अलाऊ किया है, will you allow them also if they want to come here? इसमें मुस्लिम वाली बात नहीं है, they have been declared non-Muslims. Humanitarian grounds के लिए हिंदुस्तान को माना जाता है, आप काइंडली बड़ा दिल दिखाएं।

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं इस कानून में संशोधन लेकर इसलिए आया हूँ, क्योंकि ये छ: धर्मों के बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि विदेशी मुसलमानों को भी application करके नागरिकता माँगने का अधिकार है और हम नागरिकता देते भी हैं। इस कानून के तहत नागरिकता देने का प्रोविज़न है, हम वर्तमान कानून को डिलीट नहीं कर रहे हैं। गत पाँच साल के अंदर सैंकड़ों मुसलमानों को नागरिकता दी गयी है।

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up the motion moved by Shri K. K. Ragesh for reference of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. The question is:

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-
>
> 1. Shri K. K. Ragesh
> 2. Shri B. K. Hariprasad
> 3. Shri Tiruchi Siva
> 4. Shri Elamaram Kareem
> 5. Shri Binoy Viswam
> 6. Prof. Manoj Kumar Jha
> 7. Shri Sanjay Singh

8.00 P.M.

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

SHRI K. K. RAGESH: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the next Amendment is also for sending it to a Select Committee. So, I urge you to combine these two Amendments.

MR. CHAIRMAN: I understand this, but the point is that if the names of the mover of the Amendments are separate, the Chair cannot combine it. The Secretary-General will now explain the voting procedure.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment moved by Shri K. K. Ragesh for reference of the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The House Divided.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the result of the division on the disposal of motion for reference of the Bill to Select Committee by Shri K. K. Ragesh, is:

Ayes:– 99

Noes:– 124

Ayes – 99

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharn Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fayaz, Mir Mohammad

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T. K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri - Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes – 124

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Husain Dalwai to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Husain Dalwai
2. Shrimati Viplove Thakur
3. Shri B. K. Hariprasad
4. Prof. Manoj Kumar Jha
5. Shri Tiruchi Siva
6. Shri Satish Chandra Misra
7. Dr. K. Keshava Rao

8. Dr. Amee Yajnik

9. Shri Sanjay Singh

10. Shri Praful Patel

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Binoy Viswam to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri K. Somaprasad

2. Prof. M. V. Rajeev Gowda

3. Prof. Manoj Kumar Jha

4. Shri Sanjay Singh

5. Ch. Sukhram Singh Yadav

6. Shri K. K. Ragesh

7. Shri T. K. S. Elangovan

8. Shri Binoy Viswam

with instructions to report by the last day of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Elamaram Kareem to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act 1955, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Abdul Wahab
2. Shri K. K. Ragesh
3. Shri T. K. Rangarajan
4. Shri M. Shanmugam
5. Shri Tiruchi Siva
6. Shri Binoy Viswam
7. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are 14 Amendments; Amendment (No.1) by Shri K. K. Ragesh and Shri T. K. Rangarajan; Amendment (No.4) by Shri Javed Ali Khan; Amendment (No. 6) by Shri Tiruchi Siva; Amendment (No.8) by Shri Derek O'Brien; Amendment (No. 21) by Shri Husain Dalwai; Amendment (No.24) by Prof. M. V. Rajeev Gowda; Amendment (No.26) by Shri Elamaram Kareem; Amendment (No.29) by Shri Abdul Wahab; Amendment (No.31) by Shri Sukhendu Sekhar Ray; Amendment (No.34) by Dr. T. Subbarami Reddy; Amendment (No.37) by Shri Ronald Sapa Tlau; Amendment (No.39) by Shri K. T. S. Tulsi; Amendment (No.41) by Shri Binoy Viswam; and Amendment (No.44) by Shri K. Somaprasad.

Shri K. K. Ragesh, are you moving your Amendment? I am asking both of you, Shri K. K. Ragesh and Shri T. K. Rangarajan.

SHRI K.K. RAGESH: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: This includes both of you.

Clause 2 - Amendment of Section 2

SHRI K. K. RAGESH: Sir, I move:

(No.1) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan" the words "from neighbouring countries" be *substituted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan, are you moving your Amendment?

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, I move:

(No.4) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan", the words "from any religious minority from neighbouring countries" be *substituted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I was not given an opportunity to seek a clarification. Kindly permit me to speak a few words.

MR. CHAIRMAN: You can only say what your Amendment is.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, my amendment is this. If the Bill is passed as it is, it will not ensure any help to the Sri Lankan Tamils who are languishing in the refugee camps. Since the Bill does not provide for citizenship to Sri Lankan Tamils and also Muslims are not included, I am moving the amendment. Sir, I move:

(No.6) That at page 2, *for* line 4, the following be *substituted,* namely:- "Christian community, Muslim and Ethnic minority communities from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka, who entered into".

The question was put and the motion was negatived.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I had asked for division.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, we asked for division.

MR. CHAIRMAN: It is already over. Now, Shri Derek O'Brien. Are you moving?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I move:

(No.8) That at page 2, *for* lines 3 to 9, the following be *substituted*, namely:-

"Provided that every person irrespective of religion, caste, creed or race, who has entered or enters into India at any time and if such person comes to India fleeing persecution from his country of origin or migration, he shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act".

MR. CHAIRMAN: I put the Amendment (No. 8) moved by Shri Derek O'Brien to vote.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

MR. CHAIRMAN:

Ayes – 98

Noes – 124

Ayes – 98

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T. K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tartkha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes -124

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D.P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T.G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Husain Dalwai, are you moving your Amendment (No.21)?

SHRI HUSAIN DALWAI: Yes, Sir. सर, मुझे एक मिनट बोलना है।

MR. CHAIRMAN: If you are moving it, then, there is no need for it. If you are not moving, then, you may say what you want. ...*(Interruptions)*....

SHRI HUSAIN DALWAI: I am moving. अगर वे मान जाएं तो यह problem ही नहीं आएगी। वे शायद इस बात को मान सकते हैं।

श्री सभापति: अगर वे मानते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है?

श्री हुसैन दलवई: इसीलिए सर, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। सर, इसमें हिन्दु, सिख, बुद्धिस्ट आदि सब लिखा हुआ है, अगर उसे निकाल दें, क्योंकि वहां अगर मुस्लिम होंगे तो कितने ऐसे मुस्लिम होंगे - वे कम होंगे। दूसरा, इसमें एक category आयी है जो निरश्वरवादी है, उनका क्या ...(**व्यवधान**)... Sir, I move:

(No. 21) That at page 2, *for* lines 3 to 9, the following be *substituted*, namely;-

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, Muslim community or an Atheist from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives or Myanmar who entered into. India and who has been exempted by the Central Government by or under clause

(c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946. or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act,"

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Prof. M.V. Rajeev Gowda, are you moving your Amendment (No. 24)?

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I move:

(No. 24) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendment (No. 26)?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No. 26) That at page 2, lines 3 and 4, for the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving your Amendment (No.29)?

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I move:

(No. 29) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community", the words "irrespective of faith, race and region" be *substituted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhendu Sekhar Ray, are you moving your Amendment (No. 31)?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have asked for deletion of Clause 3. If the hon. Minister agrees to that, I would withdraw. Sir, I move:

(No.31) "That at page 2, Clause 2 be *deleted*."

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.31) moved by Shri Sukhendu Sekhar Ray, to vote.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: The result of the Division on disposal of Amendment (No. 31) :

Ayes – 98

Noes - 124

AYES - 98

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes -124

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

‘ Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment (No. 34)?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I want to give a small suggestion.

MR. CHAIRMAN: Are you moving it?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, first I want to suggest, then I will tell you my decision.

MR. CHAIRMAN: If you want to say and then don't move, that I will allow; otherwise...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I will not move it, but I want to say something. My Amendment is that any person of Indian origin who came back to India before December, 2014 should be eligible for Indian citizenship, without any discrimination. Sir, I am not moving my Amendment.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ronald Sapa Tlau; are you moving your Amendment (No. 37)?

SHRI RONALD SAPA TLAU (Mizoram): Sir, I move:

(No. 37) That at page 2, line 9, *after* the words "for the purposes of this Act", the words "and no further cut off date shall be extended hereafter by the Government of India or by an Authority specified by it" be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri K.T.S. Tulsi, are you moving your Amendment (No. 39)?

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I am not moving my Amendment.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Binoy Viswam, are you moving your Amendment (No. 41)?

SHRI BINOY VISWAM: Sir, one sentence, please.

MR. CHAIRMAN: If you want to explain and then leave it, then, it is okay.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, one sentence. My purpose is to specifically mention Muslims.

MR. CHAIRMAN: Are you moving your Amendment (No. 41)?

SHRI BINOY VISWAM: Hence, I move:

(No. 41) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "Christian community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan, who entered into India", the words "Christian or Muslim community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan or from any other neighbouring countries, who entered into India following religious, social or other persecution" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri K. Somaprasad, are you moving your Amendment (No. 44).

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I move:

(No. 44) That at page 2, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are 13 Amendments; Amendment (No.2) by Shri K.K. Ragesh and Shri T.K. Rangarajan, Amendments (Nos.9 to 14) by Shri Derek O'Brien; Amendment (No.22) by Shri Husain Dalwai; Amendment (No.27) by Shri Elamaram Kareem; Amendment (No.32) by Shri Sukhendu Sekhar Ray; Amendment (No.38) by Shri Ronald Sapa Tlau; Amendment (No.42) by Shri Binoy Viswam; Amendment (No.45) by Shri K. Somparasad. Shri K.K. Ragesh and Shri T.K. Rangarajan, are you moving your Amendments?

CLAUSE 3 - INSERTION OF NEW SECTION 6B

Special provisions as to citizenship of person covered by proviso of clause (b) of Sub-section (1) of Section 2

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I move:

(No.2) That at page 2, *for* lines 34 to 37, the following be *substituted*, namely:-

"Nothing in this section shall apply to the State of Assam and other North Eastern States".

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Derek O'Brien, are you moving your Amendments (Nos. 9 to 14)?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I move:

(No.9) That at page 2, line 15, *after* the word "naturalisation", the words "on reasonable determination of persecution" be *inserted*.

(No.10) That at page 2, lines 17 and 18, *for* the words "fulfilment of the conditions specified in section 5 or the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule", the words "reasonable proof of persecution by such person before the Central Government or an authority specified by it in this behalf" be *substituted*.

(No.11) That at page 2, line 24, *for* the words "abated on conferment of citizenship", the words "temporarily stayed till denial or conferment of citizenship under this section" be *substituted*.

(No.12) That at page 2, *after* line 24, the following be *inserted*, namely:-

"Provided that any proceeding against him in respect of illegal immigration or citizenship shall be permanently abated on conferment of citizenship to such person."

(No.13) That at page 2, *for* lines 28 and 29, the following be *substituted*, namely:-

"reject his application on the ground of proceeding pending against him in respect of illegal immigration or citizenship under this section:"

(No.14) That at page 2, lines 34 to 37 be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Mr. Husain Dalwai, are you moving your Amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(No.22) That at page 2, for lines 34 to 37, the following be *substituted*, namely;-

(4) Nothing in this section shall apply to States of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and Sikkim."

The question was put and the motion was negatived.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please cooperate. I am not asking you to withdraw. I am just asking the hon. Members to keep quiet. That is all. Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendment (No. 27)?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No.27) That at page 2, *for* lines 34 to 37, the following be *substituted*, namely;-

"(4) Nothing in this section shall apply to the State of Assam and other North Eastern States."

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.27) moved by Shri Elamaram Kareem, to vote.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I want division on this.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Result of the 'division' on disposal of Amendment (No.27) by Shri Elamaram Kareem:

Ayes: – 98

Noes: – 124

Ayes – 98

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes -124

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Sharikar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhendu Sekhar Ray, are you moving your Amendment (No. 32)?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I move:

(No. 32) That at page 2, Clause 3 be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Ronald Sapa Tlau, are you moving your Amendment (No. 38)?

SHRI RONALD SAPA TLAU: Sir, I move:

(No. 38) That at page 2, line 34, *for* the words "to tribal area", the words "to tribals and non-tribals" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam, are you moving your Amendment (No. 42)?

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 42) That at page 2, line 34, *for* the words, "tribal area", the words "tribal and other areas" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri K. Somaprasad, are you moving your Amendment (No.45)?

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I move:

(No. 45) That at page 2, *for* lines 34 to 37, the following be *substituted*, namely:- "(4) Nothing in this section shall apply to the State of Assam and other North Eastern States"

The question was put and the motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4, there are six Amendments, Amendments (Nos.15 to 19) by Shri Derek O'Brien and Amendment (No. 35) by Dr. T. Subbarami Reddy. Mr. Derek O'Brien, are you moving your Amendments (Nos. 15 to 19)?

SHRI DEREK O'BRIEN: I will say two sentences and then I will not move the Amendments. Sir, it is very apparent today, in the Rajya Sabha, where the majority is, which is good. It is also very apparent where the morality is. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment (No.35)?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my suggestion is that overseas Indian citizens should be given sufficient notice of the proposed action and they should be given the reasonable opportunity of being heard before cancelling their registration. I am not moving.

MR. CHAIRMAN: If a Member intends not to move and say something, then, I should allow one or two words.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 6, there are 13 Amendments, Amendment (No. 3) by Shri K.K. Ragesh and Shri T.K. Rangarajan, Amendment (No. 5) by Shri Javed Ali Khan, Amendment (No. 7) by Shri Tiruchi Siva, Amendment (No. 20) by Shri Derek O'Brien, Amendment (No. 23) by Shri Husain Dalwai, Amendment (No. 25) by Prof. M.V. Rajeev Gowda, Amendment (No. 28) by Shri Elamaram Kareem, Amendment (No. 30) by Shri Abdul Wahab, Amendment (No. 33) by Shri Sukhendu Sekhar Ray, Amendment (No. 36) by Dr. T. Subbarami Reddy, Amendment (No. 40) by Shri K.T.S. Tulsi, Amendment (No. 43) by Shri Binoy Viswam and Amendment (No. 46) by Shri K. Somaprasad.

Shri K.K. Ragesh and Shri T.K. Rangarajan, are you moving your Amendment (No. 3)?

CLAUSE 6 - AMENDMENT OF THIRD SCHEDULE

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 3) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words, "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Mr. Javed Ali Khan, are you moving your Amendment (No.5)?

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, I move:

(No. 5) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from any religious minority from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Are you moving the Amendment (No. 7), Shri Tiruchi Siva?

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, Sir. Sir, I move:

(No. 7) That at page 3, *for* line 4, the following be *substituted*, namely:-

"Christian community, Muslim and Ethnic minority communities in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka, the aggregate period of"

MR. CHAIRMAN: I put the Amendment (No.7) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN:

Ayes – 99

Noes – 124

Ayes – 99

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fayaz, Mir Mohammad

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes -124

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Derek O'Brien, are you moving your Amendment?

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. I am not moving the Amendment.

MR. CHAIRMAN: Shri Husain Dalwai, are you moving your Amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI: Yes, Sir. I move:

(No. 23) That at page 3, *for* lines 3 to 6, the following be *substituted*, namely:-

> "Provided that for any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, Muslim community or an Atheist in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives or Myanmar, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than five years" in place of "not less than eleven years".

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Prof. M.V. Rajeev Gowda, are you moving your Amendment?

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Yes, Sir. I move:

(No. 25) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No.28) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving your Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I move:

(No.30) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community", the words "irrespective of faith, race and region" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhendu Sekhar Ray, are you moving your Amendment?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I am not moving it.

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, here I want to suggest this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Be courteous to him.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, here I want to suggest to fix the aggregate period of residence in India as not less than six years instead of five years for citizenship by naturalization. I am not moving it.

MR. CHAIRMAN: Don't provoke him. Then he will move the Amendment and then ask for the division also.

Shri K.T.S. Tulsi, are you moving your Amendment?

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, it is an exercise in futility. I don't want to move it.

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam, are you moving your Amendment?

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No.43) That at page 3, *for* lines 4 and 5, the following be *substituted*, namely:-

"Christian or Muslim community in Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan or from any other neighbouring countries, the aggregate period of residence or service of Government in India following religious, social or other persecution as required under this clause shall be".

The question was put and the motion was negatived.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I want division.

MR. CHAIRMAN: Now it is over. Shri K. Somaprasad, are you moving your Amendment?

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I move:

(No.46) That at page 3, lines 3 and 4, *for* the words "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan", the words "from neighbouring countries" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

CLAUSE 6 WAS ADDED TO THE BILL.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि विधेयक को पारित किया जाए।

SOME HON. MEMBERS: Division.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rangarajan, the vote will become invalid. ...*(Interruptions)*... No Minister, no Member should stand up to try to convey to any other Member anything. ...*(Interruptions)*... No canvassing. ...*(Interruptions)*... I shall now put the motion to vote. The question is:

That the Bill be passed.

The House divided

MR. CHAIRMAN:

Ayes – 125

Noes – 99

Ayes – 125

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya, Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyan, Shri S. R.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasegharan, Shri N.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dubey, Shri Satish Chandra

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gokulakrishnan, Shri N.

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Harivansh, Shri

Hembram, Shrimati Sarojini

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaishankar, Shri S.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kakade, Shri Sanjay Dattatraya

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kenye, Shri K. G.

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Lachungpa, Shri Hishey

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mohammedjan, Shri A.

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Nathwani, Shri Parimal

Navaneethakrishnan, Shri A.

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Paswan, Shri Ram Vilas

Patnaik, Dr. Amar

Patra, Dr. Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramaswamy, Dr. Sasikala Pushpa

Ramesh, Shri C. M.

Rane, Shri Narayan

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Shri V. Vijayasai

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selvaraj, Shri A. K.

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Arun

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swain, Shri Narendra Kumar

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Trivedi, Dr. Sudhanshu

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vaithilingam, Shri R.

Vats (Retd.), Lt. Gen. (Dr.) D. P.

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Vijayakumar, Shri A.

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Noes - 99

Abdul Wahab, Shri

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajwa, Shri Partap Singh

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharathi, Shri R. S.

Bharti, Shrimati Misha

Bhattacharya, Shri P.

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswal, Shri Ranjib

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Prof. Jogen

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fayaz, Mir Mohammad

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Narain Dass

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mani, Shri Jose K.

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Narah, Shrimati Ranee

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T. K.

Rao, Dr. K. Keshava

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rathwa, Shri Naranbhai J.

Ravi, Shri Vayalar

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shanmugam, Shri M.

Sibal, Shri Kapil

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Digvijaya

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sanjay

Singh, Shri Veer

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Vaiko, Shri

Verma, Shrimati Chhaya

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

Vora, Shri Motilal

Wilson, Shri P.

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Open the lobbies. Now, Message from the Lok Sabha, Secretary-General. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, how can 'Noes' be 105?

MR. CHAIRMAN: You cannot say now. ...*(Interruptions)*... If there is any doubt, one can write to the Chairman.